भारत में यौनिक अधिकारों के विषय पर विचार-विमर्श

क्रिया

संगमा

तारशी

मानेसर, ७-९ जनवरी, २००४

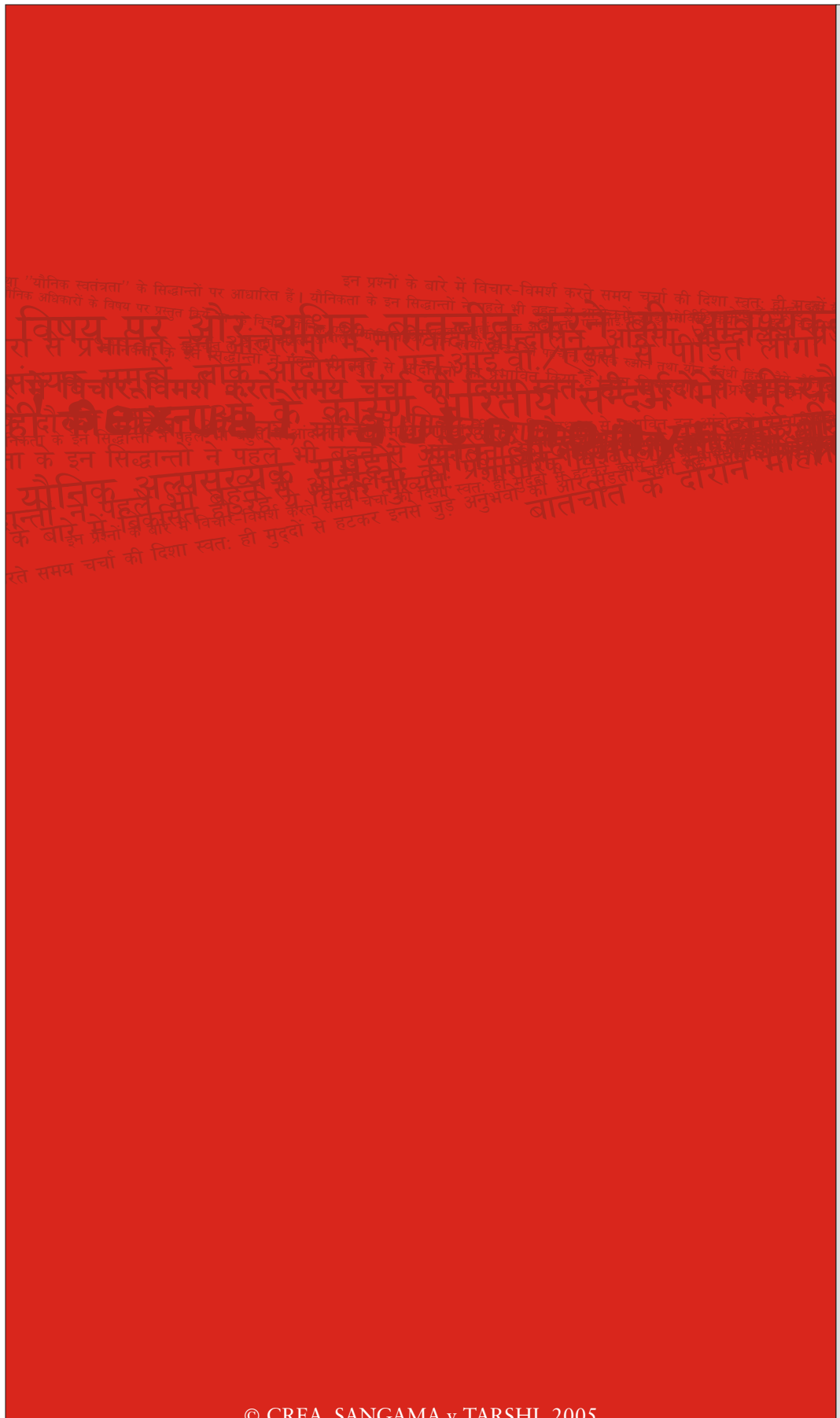

© CREA, SANGAMA y TARSHI, 2005
La información contenida en este documento de trabajo es para ser difundida, y cualquier persona puede utilizarla, citando la fuente. No puede ser utilizada con fines comerciales.

सन्दर्भ

पिछले लगभग 10 वर्षों से यौनिक अधिकारों के विषय पर प्रस्तुत किये जा रहे विचार, यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य, यौन कार्यों, जेन्डर की पहचान, यौनिक रुझान तथा यौन संबंधी हिंसा जैसे यौनिकता के विभिन्न पहलुओं से जुड़े प्रगतिशील आंदोलनों के लक्ष्यों की व्याख्या करने और इनके संबंधों को दर्शाने के लिये प्रभावशाली माध्यम के रूप में विकसित हुये है। यौनिक अधिकारों के बारे में विकसित हो रहे ये विचार मुख्यतः ''शारीरिक विश्वसनीयता'' तथा ''यौनिक स्वतंत्रता'' के सिद्धान्तों पर आधारित हैं। यौनिकता के इन सिद्धान्तों ने पहले भी बहुत से आंदोलनों को प्रभावित किया है। इस विचारधारा से प्रभावित इन आंदोलनों में नारीवादी आन्दोलन, अहिंसा आन्दोलन, प्रजनन स्वास्थ्य आन्दोलन तथा समलैंगिक स्त्री व पुरुष, दोहरी यौनिकता व ट्रॉंसजेन्डर यौनिकता के आंदोलनों सम्मिलित हैं। प्रयुक्त किये जा रहे विचारों तथा राजनैतिक पक्ष समर्थन के आधार के रूप में यौन अधिकार विषय बहुत से संदर्भों में अत्यंत लाभकारी होता है।

नई शताब्दी के आरंभ में यौनिक अधिकार, यौनिकता और सुरक्षा के विषय पर चलाये जा रहे मुख्य कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में यौनिक अधिकारों के विषय पर विचार–विमर्श बैठक का आयोजन किया गया। ब्राजील में कार्यरत यौनिक अधिकारों की पक्षधर एवं कार्यकर्ता, सोनिया कोरिया तथा न्यूयॉर्क के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में कार्यरत रिचर्ड पार्कर ने इस पहल का नेतृत्व किया। विचार–विमर्श की इस प्रक्रिया के द्वारा यौनिक अधिकारों पर छिड़ी बहस की वर्तमान स्थिति तथा इस बहस से जुड़े विभिन्न समूहों की प्रतिभागिता के स्तर को आंकने का प्रयास किया गया है। इसमें विभिन्न देशों में यौनिक अधिकारों के विषय पर कार्यरत समूहों तथा लोगों के समक्ष प्रस्तुत संभावनाओं, चुनौतियों और समस्याओं पर भी विचार किया गया है। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिये अक्टूबर, 2000 में मैक्सिको में एक बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक के पश्चात क्रिया (क्रिएटिंग रिर्सोसेज़

फॉर एम्पॉवरमैन्ट इन एक्शन), संगमा तथा तारशी (टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव एण्ड सैक्शुॲल हैल्थ इस्यूज़) संगठनों को भारत में यौनिक अधिकारों के विषय पर एक बैठक आयोजित करने का निमंत्रण दिया गया।

हाल ही की घटनाओं के कारण भारतीय सन्दर्भ में भी यौनिकता तथा अधिकारों के विषय पर और अधिक बातचीत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही हैं। वर्ष 1998 में, सत्तापक्ष का समर्थन प्राप्त कुछ अतिवादी ताकतों ने फायर नामक फीचर फिल्म का प्रदर्शन जबरन रोक दिया था। इस फिल्म में दो महिलाओं के बीच के यौन संबंधों के विषय को उठाया गया था। दो वर्ष पश्चात उत्तरी भारत के सहयोग नामक संस्थान के सदस्यों को एच.आई. वी./एड्स तथा यौनिकता विषय पर ''अश्लील'' रिपोर्ट प्रकाशित करने के अपराध के कारण गिरफ़्तार किया गया था। हाल ही में भरोसा ट्रस्ट को एच.आई.वी./एड्स विषय पर शैक्षिक सामग्री वितरित करने के कारण पुलिस के रोष का सामना करना पड़ा क्योंकि इस शैक्षिक सामग्री को ''आक्रामक'', ''अनैतिक'' तथा ''अश्लील'' माना गया था।

यौनिकता और अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों और व्यक्तियों की बड़ी तादाद से भी इन विषयों पर बातचीत की आवश्यकता का आभास होता है परन्तु इस प्रकार के किसी विचार–विमर्श से जुड़ने के बहुत कम अवसर उपलब्ध हुये हैं। किसी भी बहस के अंतर्गत विषय के पक्ष या विपक्ष में दृष्टिकोण निर्धारित किये जाते हैं तथा इसीलिये भारत में आयोजित बैठक की संकल्पना को एक बहस का रूप न देकर इसे केवल यौनिक अधिकारों के बारे में बातचीत के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

1 गे, लेज़्बिअन और ट्रॉंसजेन्डर

परिचय

प्रगतिवादी आंदोलनों से संबंधित कार्यकर्ताओं तथा अधिवक्ताओं के 18 सदस्यीय समूह ने जनवरी 2004 में हरियाणा के मानेसर नगर में आयोजित यौनिक अधिकारों के विषय पर तीन दिवसीय विचार–विमर्श बैठक में भाग लिया। प्रतिभागियों में महिला आंदोलन, यौनकर्मी आंदोलन, यौनिक अल्पसंख्यक समूहों, एचआई.वी./एड्स से पीड़ित लोगों के समूहों तथा अन्य लोक आंदोलनों से जुड़े कार्यकर्ता सम्मिलित थे। मानेसर में आयोजित बैठक में भाग लेने वाला प्रत्येक प्रतिभागी, बैठक के आयोजनकर्त्ता तीन संगठनों में से किसी न किसी संगठन से परिचित था। आमंत्रित सभी प्रतिभागी किसी न किसी रूप में यौनिक अधिकारों के विषय से जुड़े रहे थे और इनके विचारों में सैद्धान्तिक रूप से किसी न किसी तरह की समानता थी जैसे ये सभी प्रतिभागी यौनकर्मियों के अधिकारों और यौनिक आचरण में अनेकता के सिद्धान्त को स्वीकार करते थे।

इस तीन दिवसीय बैठक के दौरान किसी भी व्यक्ति के विचारों की अवहेलना किये बिना ही विषय के बारे में स्पष्ट चिंतन, संबंध विकसित करने, सहभागिताओं को सुदृढ़ करने और बातचीत द्वारा मतभेदों को सुलझाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यह बैठक अत्यंत व्यक्तिगत परन्तु संस्थागत स्तर पर उठाये जाने वाले विषयों के बारे में सच्चे हृदय से सार्थक विचार–विमर्श का स्थान सिद्ध हुई तथा इससे यौनिक अधिकार एवं कानून, सामाजिक आंदोलन तथा जेन्डर व मानवाधिकार विषयों पर और अधिक विचार–विमर्श के विषयों की पहचान करने में सहायता मिली। यौनिक अधिकारों की बेहतर प्राप्ति के लिये ऐसा विचार–विमर्श अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

प्रस्तुत रिपोर्ट किसी भी तरह से केवल भारत के संदर्भ में प्रस्तुत रिपोर्ट मात्र ही नहीं है और ना ही इसे इस प्रकार की रिपोर्ट माना जाना चाहिये। इस रिपोर्ट में भारत में यौनिक अधिकारों के विषय में

विचारों के अतर, दृष्टिकोण, कार्यकर्ताओं, संघर्षों, कार्यरत आंदोलनों के बारे में चर्चा नहीं की गई है और न ही यह रिपोर्ट इनका प्रतिनिधित्व करती है। इसके विपरीत यह रिपोर्ट यौनिक अधिकारों पर किये गये विचार–विमर्श का ब्यौरा उपलब्ध कराती है और इसमें अलग–अलग विचार, दृष्टिकोण एवं चिन्तायें सम्मिलित हैं।

मुख्य प्रश्न

मानेसर में आयोजित बैठक को एक विचार–विमर्श बैठक के रूप में प्रस्तुत करते हुये इसकी संरचना तैयार करने में निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान में रखा गया :

- यौनिक अधिकारों से हमारा क्या अभिप्राय है?
- प्रगतिशील आंदोलन किस प्रकार यौनिक अधिकारों के विषय से जुड़े हैं?
- यौनिक अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संगठन किस प्रकार इन प्रगतिशील आंदोलनों से जुड़ पाये हैं?
- बच्चों के सन्दर्भ में हम यौनिक अधिकारों के विषय की संकल्पना किस प्रकार करते हैं?

इन प्रश्नों के बारे में विचार–विमर्श करते समय चर्चा की दिशा स्वतः ही मुद्दों से हटकर इनसे जुड़े अनुभवों की ओर मुड़ती चली गई जिसमें व्यक्तिगत और राजनैतिक, दोनों प्रकार के अनुभव सम्मिलित थे। बातचीत के दौरान महिला आंदोलन, यौनिक अल्पसंख्यक समूहों, लोक आंदोलनों, एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित लोगों के समूहों और यौन कर्मियों से जुड़े आंदोलनों के बारे में मुख्य रूप से चर्चा हुई। अधिकांश सत्रों की शुरुआत संक्षिप्त प्रस्तुतीकरणों से हुई जिसके पश्चात भावपूर्ण एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत किये गये। इस रिपोर्ट के माध्यम से इन प्रस्तुतियों एवं चर्चाओं का सार प्रस्तुत करते हुये यह आशा की जाती है कि इससे यौनिक अधिकारों के बारे में उभरते हुये स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विचारों को समर्थन मिलेगा।

यौनिक अधिकारों से हमारा क्या अभिप्राय है?

बैठक के आरंभ में एक सामूहिक गतिविधि की गई जिसका उद्देश्य था कि सहभागी 'यौनिक अधिकार' विषय पर साझी समझ विकसित कर सकें। यह आवश्यक नहीं था कि उनके द्वारा विकसित की गई परिभाषायें एक सी हों। अपने अलग–अलग विचारों को शब्दों, प्रश्नों, परिभाषाओं, नारों या वक्तव्यों के रूप में व्यक्त करने के लिये सहभागियों ने इंडैक्स कार्डों का उपयोग किया।

शब्द

यौनिक अधिकारों के प्रति समर्थक विचार व्यक्त करने के लिये सहभागियों ने कामुकता, इच्छा, आनन्द, आनन्द की अनुभूति, अपने विचारों की पुष्टि, सुखद कल्पनायें, स्वपन, शरीर, पहचान, पद्धतियॉ, स्वतंत्रता, प्रेम, यौनिक स्वतंत्रता, आदर, प्रतिष्ठा, सूचित चयन, रिश्ता में समानता, यौन आचरण को अपराध न मानना, कार्य करना, सामुहिक रूप से कार्य करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भेदभाव और सामाजिक उत्पीड़न से मुक्ति, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच तथा अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण जैसे शब्दों का प्रयोग किया।

इसके ठीक विपरीत यौनिक अधिकारों को गलत ठहराने या इन्हें सीमित रखने के लिये प्रयोग किये गये शब्द थे : डर, धमकी, उत्पीड़न, बाहरी नियंत्रण, भेदभाव, बलात्कार, कत्ल, आत्महत्या, रोक–टोक, यौनिक विचारों की अस्वीकार्यता, यौनिक विशेषाधिकार, शक्ति संतुलनों का अंतर, पितृसत्ता, जबरन थोपी गई विषमलैंगिता तथा अपने विचार थोपने के लिये की गई हिंसा।

परिभाषायें

यौनिक अधिकारों को ऐसे अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया जो पूरी तरह से व्यक्तिगत और आमोद–प्रमोद के व्यवहार

होते हैं परन्तु साथ ही साथ यह अत्यधिक राजनीतिक व्यवहार भी बन जाते हैं। एक सहभागी ने यौनिक अधिकारों को इस तरह परिभाषित किया कि, ''अपनी यौनिकता को अपनाये रखने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता तथा मेरे द्वारा किसी विशेष प्रकार के कपड़े पहनने, व्यवहार करने, मेरी पहचान, मैं किससे प्रेम करता/ती हूँ, किससे मित्रता करता/ती हूँ किसके साथ यौन संबंध रखता/ती हूँ, यह संबंध मैं कब और कहां करता/ती हूँ आदि व्यवहारों पर किसी प्रकार के बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, बशर्ते कि मैं किसी अन्य व्यक्ति के निजी जीवन में दखल न दूँ; या फिर मैं सैक्स क्यों करता/ती हूँ अथवा मेरे अनुभव अत्यधिक कामुक क्यों हैं?मेरा शरीर, दिल, मन और सैक्स केवल मेरा अपना है''।

बहुत से सहभागियों ने अंतराष्ट्रीय स्तर पर यौनिक अधिकारों पर विचारों को दर्शाने वाली भाषा का प्रयोग करते हुये यौनिक अधिकारों को ऐसे अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जिसमें निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं:

- सहमति के आधार पर अपने यौन साथियों को चुनने का अधिकार, अपनी इच्छानुसार यौन आचरण के चयन का अधिकार और यौनिकता से संबंधित प्रत्येक विषय का अधिकार।
- विवाह और पैसों के भुगतान जैसी स्थितियों में भी सैक्स करने या ना करने की स्वतंत्रता का अधिकार।
- एक ही समय पर एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों के साथ सैक्स करने का अधिकार, बशर्ते कि अन्य सभी लोग इसके लिये तैयार हों।
- विवाह करने अथवा विवाह न करने की स्वतंत्रता का अधिकार।
- अपनी यौनिकता को जानने, खोजने और उससे आनंदित होने का अधिकार।
- भुगतान कर सैक्स प्राप्त करने या प्रदान करने का अधिकार।
- सैक्स विषय पर भिन्न विचार रखने का अधिकार।
- जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।

- यौन सेवाओं को विज्ञापित करने का अधिकार।
- सैक्स प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं और सैक्स के बारे में बताने वाली सामग्रियों के निर्माण, प्रयोग तथा इन्हें विज्ञापित करने का अधिकार।
- अपनी जैविक परिस्थितियों पर ध्यान ना देते हुये भी जेन्डर और यौनिक पहचान की माँग का अधिकार।
- अन्य लोगों से भिन्न होने पर भी बिना किसी भेदभाव के अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार।
- यौनिक पद्धतियों तथा पहचान के कारण किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा, भेदभाव के बिना स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार।
- यौन उत्पीड़न के अतिरिक्त जीवन के प्रत्येक कार्यक्षेत्र में बिना किसी रोक टोक या नियंत्रण के अपनी यौनिकता को बनाये रखने का अधिकार।
- एक सकारात्मक और समर्थनकारी यौनिकता का अधिकार।

वक्तव्य एवं प्रश्न

बहुत से सहभागियों ने अनेक वक्तव्यों और प्रश्नों के माध्यम से यौनिक अधिकारों के बारे में अपनी जानकारी और आशंकाओं को व्यक्त किया।

इस संबंध में एक विचार यह था कि 'सारी यौनिकता अधिकार नहीं है'। यौनिक अधिकारों में यौनिकता का स्थान क्या है? क्यों हम 'यौनिकता के अधिकार' की बात ना कर केवल 'यौनिक अधिकारो' की ही बात करते हैं। 'यौनिक अधिकारों' तथा 'यौनिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के अधिकार' के बीच के अन्तर को दर्शाया गया। इसी के साथ यौनिक अधिकारों और प्रजनन अधिकारों के अंतर को भी दर्शाया गया यद्यपि इन दोनों के ही मध्य कुछ समानतायें भी होती हैं।

बहुत से सहभागियों ने कहा कि यौनिक अधिकारों का अर्थ है कि प्रत्येक तरह की भिन्नताओं और विविधताओं का सम्मान किया जाये तथा सभी पुरुषों, महिलाओं, हिजड़ों, कोथियों, समलैंगिक

पुरुषों, समलैंगिक महिलाओं और द्विलैंगिक व्यक्तियों को एक समान समझा जाये भले ही उनकी यौन प्रवृत्तियाँ भिन्न–भिन्न क्यों न हों। परन्तु क्या वास्तव में विभिन्न स्तर निर्धारित किये बिना ही हर व्यक्ति को यौनिक अधिकारों की सरंचना में सम्मिलित करना संभव हो सकता है?

हम जानते हैं कि यौनिकता जाति, प्रजाति, वर्ग, जेन्डर, आयु, धर्म, क्षेत्र, शारीरिक विकलांगता आदि सभी परिप्रेक्ष्यों में सम्मिलित होती है तो यह कैसे संभव है कि यौनिक अधिकारों की कोई परिभाषा इन सभी प्रकार के अनुभवों को सही मायने में अर्थ एवं अभिव्यक्ति प्रदान कर सके?यौनिक अधिकारों के बारे में किये गये अधिकांश हस्तक्षेप और विचार–विमर्शों की विषय वस्तु प्रायः यौन रूप से सक्रिय व्यक्ति ही होते हैं। यदि ऐसा है तो इस विषय पर उदयमान यह विचारधारा किस प्रकार उन लोगों के यौनिक अधिकारों के बारे में बता सकती है जो अकेले, बूढ़े या विकलांग हैं?

''सभी के लिये यौनिक अधिकार'' विषय पर चर्चा करते समय वास्तव में हम किन व्यक्तियों के अधिकारों की बात करते हैं?क्या ''यौनिक अधिकार'' समान रूप से सभी वयस्कों और बच्चों के लिये लागू होते हैं?एक सहभागी का मानना था कि, बच्चों सहित प्रत्येक व्यक्ति को आपसी सहमति, अहिंसा और गोपनीयता बरतते हुये सैक्स के साथ प्रयोग करने और यौन अनुभव प्राप्त करने की छूट होनी चाहिये। इस सहभागी का विचार था कि बच्चों को भी यौन आनन्द प्राप्त करने व इसके बारे में खोजबीन करने का अधिकार दिया जाना चाहिये। बाद के एक सत्र में इस विषय पर गहन चर्चा की गई।

यौन कार्य जैसे विषयों पर दी गई अनेक टिप्पणियों से यौनिकता के विवादित परिदृश्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। एक सहभागी ने कहा कि ''आज जब हर वस्तु, यहां तक कि आध्यात्मिकता भी बेची जा रही है तो सैक्स का क्रय विक्रय करना भी उचित ही है और इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिये''। एक अन्य सहभागी ने प्रश्न उठाया कि यौन कार्य को हमेशा ही सैक्स जैसे निर्मल अनुभव के विरुद्ध क्यों खड़ा कर दिया जाता है?

यौनिक अधिकारों को और भी अनेक प्रकार के विषयों जैसे कानून, परिवार, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थान, राजनीति, नीतियों और

इनके आयोजन के परिप्रेक्ष्य में भी समझने का प्रयास किया गया। क्या अपनी निजी पहचान बनाये रखने की राजनीति और यौनिक अधिकारों में परस्पर विरोध होता है या फिर ये अधिकार इसी राजनीति से प्रकट होते हैं, मिलकर काम करते हैं या एक अलग ही विचारधारा प्रकट करते हैं?यौनिक अधिकारों के विषय पर विचार–विमर्श करते समय यौनिकता के व्यक्तिगत अनुभव किस प्रकार परिलक्षित होते हैं?

इस दिशा में अपने विचार रखते हुये एक सहभागी ने कहा कि ''यौनिक अधिकारों का अर्थ है कि हमारे नीरस जीवन में कुछ आनन्दायी क्षण वापस लाना। यद्यपि यौनिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलने चाहिये फिर भी हमें कोई ऐसा रास्ता खोजना चाहिये कि हम केवल राज्य को ही यह अधिकार प्रदान करने के लिये उत्तरदायी ना ठहरायें। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से राज्य या प्रशासन हमारे निजी जीवन या शयन कक्ष में प्रवेश कर सके''।

विचार–विमर्श

विचारों को उद्वेलित करने वाली इस गतिविधि के बाद बहुत से विषयों जैसे यौनकर्म, यौनिक अधिकारों की भाषा, यौनिक अधिकारों और मानवाधिकारों के बीच संबंध, विभिन्न प्रकार की यौनिक पहचान और 'आनन्द प्राप्त करने का अधिकार' जैसे विषयों पर विस्तृत एवं जीवंत विचार–विमर्श किया गया।

यौनकर्म, आध्यात्मिकता और व्यावसायीकरण

बहुत से सहभागी इस वक्तव्य से सहमत थे कि आज आध्यात्मिकता सहित प्रत्येक वस्तु को बेचा जा रहा है इसलिये सैक्स का विक्रय भी उचित ही है। आज जबकि मोक्ष प्राप्त करने के प्रत्येक साधन का विक्रय किया जा रहा है तो सैक्स को भी मोक्ष के ही एक अन्य साधन के रूप में क्यों नहीं बेचा जा सकता?भारतीय तंत्र परंपरा में सैक्स को मोक्ष या आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का साधन माना जाता रहा है। अन्य कुछ सहभागी इस विचार से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि आध्यात्मिकता और सैक्स

को एक समान नहीं माना जा सकता। एक सहभागी ने पूछा, ''आध्यात्मिकता क्या है''?''क्या यह विशुद्ध मानवीय अनुभव है या समस्त पृथ्वी को एक धर्म के अंतर्गत लाने के विचार का दूसरा नाम है?आध्यात्मिकता या यौनिकता में कौन–कौन सी समानतायें और विषमतायें हैं''?

एक अन्य सहभागी का विचार था कि इस वक्तव्य से ''विक्रय करने'' की प्रक्रिया को एक नकारात्मक स्वरूप मिलता है। उन्होंने जानना चाहा कि क्या बेचने और खरीदने की इस प्रक्रिया में कुछ भी गलत होता है या बेची या खरीदी जाने वाली किसी वस्तु का मूल्य लगाना क्या गलत होता है? अन्य सहभागियों का विचार था कि खरीदना और बेचना या बाजार व्यवहार ही आज की विश्व अर्थव्यवस्था में भी एकमात्र सच्चाई नहीं है। परन्तु क्या ऐसी परिस्थितियों में जबकि बाजार अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के नव–विचार ही चारों तरफ फैल रहे हैं, तो क्या किसी प्रकार की अन्य वास्तविकताओं की परिकल्पना भी की जा सकती है?

भाषा, विचार, संघर्ष

विचार–विमर्श के अर्थव्यवस्था के नवीन उदारीकरण के विषय से यौनिक अधिकारों की दिशा में बढ़ने के साथ–साथ एक सहभागी ने कहा कि यौनिक अधिकारों को व्यक्त करने के लिये प्रयोग में लाई गई भाषा इनके हनन या यौनिकता के नकारात्मक अनुभवों को समझने में प्रभावी होती है परन्तु इससे यौनिकता के किसी समर्थनकारी दृष्टिकोण का पता नहीं चलता।

क्या ''भेदभाव से मुक्ति'' या ''सहमतिपूर्ण संबंध'' जैसे वाक्यांशों के प्रयोग से यौनिक अधिकारों के बारे में किसी की समझ में बढ़ोतरी होती है या फिर क्या इससे यौनिकता के अन्य महत्वपूर्ण पहलू जैसे आनन्द की अनुभूति, खोजबीन या आमोद–प्रमोद में किसी प्रकार कमी आती है? सहभागी इस बात से सहमत थे कि यौनिक अधिकारों के बारे में उभरते हुये विचारों में अधिकारों के हनन और स्वतंत्रता का बोध कराने वाली भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिये जोकि यौनिकता और अधिकारों की अव्यावहारिक परिकल्पना से हट कर हो।

इस संदर्भ में एक अन्य सहभागी ने कहा कि ''खेल'' या

''आमोद–प्रमोद'' को न केवल काल्पनिक दृष्टि से बल्कि व्यावहारिक रूप से भी अपनी जेन्डर पहचान के अनुसार यौनिक व्यवहार करने के लिये एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में समझा जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिये जैसे कोथी अपने जेन्डर और यौनिक पहचान के साथ वास्तविक रूप से 'खेल' करते हैं।

कुछ सहभागियों का मानना था कि यौनिक अधिकारों की व्याख्या करने वाली भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे राजनीतिक भिन्नताओं को छिपाया जा सके। उदाहरण के लिये आज वे लोग भी जो ''सैक्स के विक्रय'' को वैधानिक और कानूनी कार्य नहीं मानते, वे भी आज ''यौनकर्म'' जैसे शब्दों का खुलकर प्रयोग करते हैं। अन्य सहभागियों का मानना था कि इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग के अपने ही लाभ हैं। विशेष प्रकार के शब्द समूहों का प्रयोग करने से किसी विषय की ओर ध्यान आकृष्ट होता है और इससे उसके प्रचार प्रसार में सहायता मिलती है। इस तरह विशिष्ट शब्द समूहों के प्रयोग को एक ही समय पर उपयोगी और खतरनाक व शक्तिशाली तथा शक्तिहीन माना गया।

अधिकार, मानवाधिकार, यौनिक अधिकार

यौनिक अधिकारों में प्रयुक्त भाषा के बारे में विचार–विमर्श के दौरान यौनिक अधिकारों के भाषाई एवं परिकल्पनात्मक उदगम को जानने का प्रयास किया गया। यह जानने का प्रयास भी किया गया कि यौनिक अधिकारों के लिये प्रयोग की जा रही भाषा का प्रयोग किस प्रकार आरंभ हुआ और किस स्थान पर यह उपयोगी अथवा अनुपयोगी होती है। क्या वर्ग, जाति, पितृसत्ता या थोपी गई विषमलैंगिकता के विचार भी ''यौनिक अधिकारों'' के अंतर्गत ही आते हैं? इन वाक्यांशों या परिभाषाओं को प्रयोग करने के क्या परिणाम होते हैं और आजकल इनका प्रयोग क्यों बढ़ता जा रहा है?विचार–विमर्श से ऐसे ही कुछ विषय उभर कर सामने आये।

अनेक सहभागियों का मानना था कि यौनिक अधिकारों को मानवाधिकारों के एक भाग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये क्योंकि जहां यौनिक अधिकारों और मानवाधिकारों के मध्य कुछ समानतायें हैं वहीं यौनिक अधिकार मानवाधिकारों से बहुत भिन्न भी होते हैं। यौनिक अल्पसंख्यक समूह, संगमा ने इस बात की व्याख्या की, कि किस प्रकार वे मुख्य मानवाधिकार संगठनों को

यौनिक अधिकारों के विषय पर बात करने के लिये तैयार करने हेतु मानवाधिकारों के लिये प्रयुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। मानवाधिकार आंदोलन के साथ सहभागिता बनाने के लिये जहाँ ''सामाजिक न्याय'' जैसे विषय आवश्यक हैं वहीं यौनिक अधिकारों की भाषा भी यौनकर्मी संगठनों, एच.आई.वी./एड्स पीड़ित व्यक्तियों के समूहों तथा महिला आन्दोलनों के साथ गठजोड़ करने में सहायक होती है।

यदि यौनिक अधिकारों का उदगम मानवाधिकारों से नहीं हुआ है तो फिर इनका वास्तविक उदगम कैसे हुआ?''यौनिक'' तथा ''अधिकारों'' को एक साथ लाकर किस प्रकार यौनिकता और मानवाधिकारों के बारे में विचारों को पुनर्लिखित किया गया? विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिये महिलाओं के अधिकारों की पैरवी के लिये 1948 की विश्व मानवाधिकार घोषणा का प्रयोग किया जाता रहा है जबकि वास्तविक घोषणा में महिला अधिकारों का कोई स्थान नहीं था।

एक अन्य सहभागी ने इस बात की व्याख्या की, कि कैसे उनका संगठन यौनिक अधिकारों की विचारधारा का समर्थन करता है। मानवाधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा में यौनकर्मियों को मात्र पीड़ित के अतिरिक्त कुछ नहीं समझा जाता। इस विचारधारा के अंतर्गत कोई यौनकर्मी एक पीड़ित के रूप में तो देखा जा सकता है परन्तु इसके अंतर्गत वह कभी भी यौनकर्म करने के अधिकार की माँग नहीं रख सकता। इस संदर्भ में यौनकर्मियों के अधिकारों के लिये कार्यरत संपदा ग्रामीण महिला संस्था (संग्राम) ने विचार–विमर्श को नागरिकता और यौनिक अधिकारों जैसी अन्य विचारधाराओं की ओर मोड़ा क्योंकि इनके अंतर्गत सहभागितायें तैयार करने और अधिकारों की माँग रखने की संभावनायें अधिक होती हैं।

सहभागी इस बात से सहमत थे कि मानवाधिकार, महिलाओं के अधिकार या यौनिक अधिकारों जैसी किसी भी विचारधारा में प्रभावशाली शब्दों और परिभाषाओं को निर्धारित करने से उसमें अद्वितीय शक्ति उत्पन्न होती है। अंत में भाषा तो अपने विचारों को प्रकट करने का एक साधन मात्र ही है। यहां आवश्यकता है कि ऐसी विचारधारा या भाषा का प्रयोग किया जाये जो व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हो। अब प्रश्न यह उठता है कि विचारधारा से

संघर्ष का पता चलता है या संघर्ष विचारधारा को परिभाषित करता है?

उत्पीड़न, पीड़ित, आनन्द

यौनिक अधिकार के कार्यक्षेत्र में आनन्द को अविभाज्य माना जाता है परन्तु यौनिक अधिकारों के बहुत से पक्ष समर्थकों को इस बात की निश्चित जानकारी नहीं है कि आनन्द के सिद्धान्त को किस प्रकार अपने कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया जाये। अधिकारों के हनन की संरचना, जिसमें पीड़ित होने पर अधिक बल दिया जाता है, आनन्द के इस सिद्धान्त के प्रयोग में एक रुकावट है। इस संदर्भ में किसी व्यक्ति द्वारा इस विषय में प्रयोग किये जाने और उत्पीड़न को अलग–अलग किया जाना बहुत आवश्यक है ताकि अपनी इच्छा से प्रयोग कर रहे उस व्यक्ति को पीड़ित ना समझा जाये।

फिर भी, ''आनन्द प्राप्त करने का अधिकार'' अनेक तरह से अव्यावहारिक सिद्धान्त ही है। एक व्यक्ति के अतिरिक्त, आनन्द को कौन परिभाषित करता है? क्या कोई व्यक्ति यह शिकायत कर सकता है कि वह आनन्द प्राप्त नहीं कर पा रहा है? यदि हाँ, तो वह अपनी यह शिकायत किसके समक्ष रखे?एक सहभागी ने कहा, ''मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन में व्याप्त आनन्द को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिभाषित किया जाये''। इस सहभागी ने आनन्द के सिद्धान्त का प्रयोग करते हुये यौनिकता के विषय पर काम करने के एक वास्तविक उदाहरण की जानकारी दी। बहुत से पुरुष तारशी द्वारा संचालित हैल्प–लाइन सेवा में फोन करके अपने आनन्द को बढ़ाने के लिये सलाह लेना चाहते हैं। अनेक पुरुषों का कहना होता है कि उनकी पत्नियों को मौखिक सैक्स अरुचिकर और अस्वस्थ व्यवहार लगता है; हैल्प–लाइन में नियुक्त परामर्शदाता समय के साथ–साथ अब इस बात को समझने लगे हैं कि महिलायें मौखिक सैक्स से बचने के लिये ही ऐसा कहती हैं। मौखिक सैक्स के बारे में इन पुरुषों को वास्तविक जानकारी उपलब्ध करा कर यह हैल्प–लाइन अनजाने में ही इन पुरुषों को अपनी पत्नियों के तर्कों के उत्तर उपलब्ध कराती हैं। फिर भी, पुरुषों को यह जानकारी उपलब्ध ना कराना एक प्रकार से उनकी पत्नियों को सुरक्षित रखने जैसा ही होता, इसलिये हैल्प–लाइन ने इस समस्या का हल इस प्रकार निकाला कि अब वह कॉल करने वाले लोगों को यह बताते हैं कि यौन आनन्द एक परस्पर अनुभव है जो आपसी सहमति पर

निर्भर करता है।

यौनकर्मियों के संदर्भ में भी आनन्द की अनुभूति के विषय पर चर्चा की गई। यौनकर्मियों में ग्राहक द्वारा महिला को आनन्द पहुँचाने जैसा कोई विचार नहीं होता बल्कि यह माना जाता है कि पुरुष ही महिला से आनन्द प्राप्त करता है। परन्तु यौनकर्मी स्वयं ही पैसे के लिये पुरुषों के साथ सैक्स कर व आनन्द के लिये दूसरी महिलाओं को रखकर आनन्द की इस विचारधारा को नकार देते हैं। यौनकर्मी महिलायें अक्सर पुरुष प्रेमियों (मालिकों) की अपेक्षा अपनी लंबे समय से चली आ रही महिला मित्रों (मालकिनों) से यौनिक आनन्द प्राप्त करने की बात कहती हैं। यद्यपि यौनकर्मियों के समुदाय में यौन आनन्द के विषय पर खुल कर बात की जाती है परन्तु फिर भी, आमतौर पर इस समुदाय में इस विषय पर चुप्पी ही रखी जाती है।

हालाँकि, इस विषय पर आमतौर पर चर्चा नहीं की जाती फिर भी देखा गया है कि महिलायें अनेक प्रकार से यौन आनन्द का अनुभव कर लेती हैं, जिनमें से कुछ तरह के अनुभवों को तो सामाजिक मान्यता भी प्राप्त होती है। कुछ समुदायों में तो एक अघोषित परंपरा का पालन किया जाता है जहाँ बड़ी उम्र की महिलायें छोटी उम्र के पुरुषों को यौन आनन्द का अनुभव करा, इस क्षेत्र में उन्हें प्रवेश कराती हैं। बहुत सी महिलाओं को स्तनपान कराते समय यौन सुख का अनुभव हो जाता है। सामंतवादी प्रथा के अंतर्गत हमेशा ही पुरुषों को महिलाओं का संसर्ग प्राप्त करने का अधिकार मिलता रहा है; अब बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत न केवल पुरुषों बल्कि महिलाओं को भी यौन सुख खरीदने के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

वैश्वीकरण के इस युग में दवा कम्पनियाँ और अन्य संबंधित उद्योग भी लाभ के उद्देश्य से यौन सुख को भुना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय यौन सम्मेलनों में यौन सुख या आनन्द को जैविक और चिकित्सकीय रूप से परिभाषित किया जाता है तथा सुख के अभाव को एक प्रकार के शारीरिक दोष के रूप में दर्शाया जाता है। इसका हल दवा कंपनियों द्वारा व्याग्रा और ऐसी ही अन्य आनन्दवर्धक दवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है जिनसे कि आनन्द प्राप्त करने के अधिकार में वृद्धि हो जाती है। यौनिक अधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को चाहिये कि ऐसी दवा कंपनियों और उद्योगों का विरोध करें जो यौनिक अधिकारों की भाषा का प्रयोग अपने

स्वार्थ की पूर्ति के लिये करते हैं।

विषमलैंगिक, समलैंगिक, पहचान

कोई भी पहचान किस तरह से उभर कर सामने आती है?पहचान और व्यवहार में क्या अंतर होता है? इस विषय पर चर्चा के दौरान रोचक बातचीत सामने आई। यौनिक स्वास्थ्य की विचारधारा के अंतर्गत ''पुरुषों से यौन संबंध रखने वाले पुरुष'' जैसी परिभाषायें उभरी हैं। ऐसी ही विचारधाराओं से किसी विशेष तरह की पहचान का उभर कर सामने आना संभव है। यद्यपि आरंभ में इस परिभाषा का उद्देश्य एक विशेष प्रकार के व्यवहार के बारे में बताना था परन्तु अब इसे अधिकाधिक एक पहचान के रूप में जाना जाने लगा है। एक सहभागी ने यह विचार रखा कि ''महिलाओं के साथ यौन संबंध रखने वाली महिलाओं'' जैसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है क्योंकि एच.आई.वी. के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है।

क्या पहचान बनाने की परिकल्पना स्वयं में उद्धारकर्ता होती है या इससे और भी जटिलतायें पैदा होती हैं। एक सहभागी ने इस विषय पर अपने अनुभव बताये कि कैसे उसने स्वयं को पहचाना और किस प्रकार अलग–अलग समय पर उसकी पहचान समलैंगिक एवं कोथी पुरुष के रूप में की गई। उसने अनुभव किया कि व्यवहार पर आधारित इस प्रकार की पहचान बनने से अधिक जटिलतायें ही उत्पन्न होती हैं। एक अन्य सहभागी ने अपने विचार प्रकट किये कि कैसे अलग–अलग परिस्थितियों में देवदासी के रूप में पहचान सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। राज्य प्रशासन द्वारा देवदासी को नकारात्मक रूप से सबोधित किया जाता है जबकि समुदाय में देवदासी के रूप में पहचान, सशक्तिकरण का प्रतीक है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी पहचान कौन निर्धारित करता है। उदाहरण के लिये यौनकर्मियों को ''व्यवसायिक यौनकर्मी'' कहकर सबोधित किया जाता है जबकि अन्य किसी भी व्यवसाय में, व्यवसायिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। चिकित्सकों और अधिवक्ताओं को कभी भी व्यवसायिक चिकित्सक या व्यवसायिक अधिवक्ता कहकर सबोधित नहीं किया जाता। यहाँ तक कि आपस में बातचीत के समय भी देह व्यापार से जुड़ी महिलायें एक दूसरे को ''रण्डी'' कहकर संबोधित करती हैं। यह परिभाषा बाहरी समस्त विश्व में

अत्यन्त शर्मनाक समझी जाती है। अब ऐसे हालात में इनकी पहचान क्या है?क्या वह रण्डियाँ हैं या व्यवसायिक यौनकर्मी?

अनेक प्रकार की रुकावटें उत्पन्न करने के बाद भी, लोगों को संगठित एवं संघटित करने में पहचान लाभकारी भूमिका अदा करती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी परिस्थिति में पहचान की इस प्रथा को कितना आगे ले जाया जाये। बहुत से सहभागियों को लगा कि यौनिक पहचान निश्चित और एकल होने की अपेक्षा अपने आप में लोचदार और एक से अधिक प्रकार की होती हैं। स्वयं ही तैयार की गई परिभाषा समय और परिस्थितियों के साथ–साथ बदल सकती हैं। परन्तु यदि पहचान इतनी ही लोचदार होती है तो इनके आधार पर कोई यौनिक अधिकारों के लिये संघर्ष कैसे कर सकता है?

एक सहभागी का विचार था कि यदि यौनिक अधिकार पहचान की संरचना पर आधारित हों तो उनमें अपना महत्व खो चुके समूहों के साथ समिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति हो जाती है और यौनिक अधिकारों को समलैंगिक पुरुषों या समलैंगिक स्त्रियों के अधिकारों के रूप में देखा जाने लगता है। ''यौनिक अधिकारों'' की परिभाषा के अंतर्गत न केवल किन्हीं विशिष्ट पहचान वाले समूहों बल्कि प्रत्येक वर्ग के अधिकारों की बात की जानी चाहिये। यौनिक अधिकारों का अर्थ केवल यौनिक अल्पसंख्यकों के अधिकार ही नहीं हो सकता। उस सहभागी का कहना था कि हम विषमलैगिकता के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसाकि विषमलैंगिकता ने यौनिक अल्पसंख्यकों के साथ किया है।

अन्य सहभागियों का मानना था कि सभी के लिये यौनिक अधिकारों की परिकल्पना में विषमलैंगिता जैसे सामान्य समझे जाने वाले यौनिक व्यवहारों को वरीयता मिल जाती है जबकि अन्य प्रकार की सभी यौनिकतायें इसमें लुप्त हो जाती हैं। अनिवार्य विषमलैंगिकता इस परिकल्पना में केन्द्रीय में स्थान आ जाती है जबकि अन्य सभी प्रकार की यौनिकतायें हाशिये पर चली जाती हैं। ''सभी के लिये यौनिक अधिकार'' की इस परिकल्पना में अन्य प्रकार की इन यौनिकताओं पर बात नहीं की जाती और ना ही इसके अंतर्गत विषमलैंगिकता को अन्य व्यवहारों से ऊपर रखे जाने के कारण उत्पन्न शक्ति असंतुलन पर विचार किया जाता है।

इस संदर्भ में सहभागी इस बात पर सहमत थे कि न केवल विषमलैंगिकता और अन्य यौनिकताओं के मध्य बल्कि विषमलैंगिकता के अंतर्गत, पुरुषों और महिलाओं के बीच, विवाहित और अविवाहितों आदि के बीच भी शक्ति असंतुलन होते हैं। साथ ही साथ सहभागियों ने यह विचार भी रखा कि यौनिक अल्पसंख्यक होने का अर्थ आवश्यक रूप से शक्तिविहीन होना नहीं होता है। यह यौनिकता और जाति, वर्ग, आयु, धर्म आदि के अंतरसंबंधों पर निर्भर करता है।

ऐसा प्रतीत हुआ कि ''शक्तिशाली'' होने का विचार प्रत्येक तरह के संबंधों – विवाहितों, अविवाहितों, समलैंगिक, विषमलैंगिक, अंतरलिंगी (ट्रॉंसजेन्डर), आदि में केन्द्रीय भूमिका रखता है। प्रत्येक तरह के संबंधों में जेन्डर पर आधारित भूमिकाओं का मुख्य स्थान रहता है और इन्हें कई तरह से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिये अधिक प्रदर्शनकारी पहचान से आमतौर पर पुरुषत्व और नारीत्व की परंपरागत विचारधारायें उत्पन्न होती हैं। नारीत्व की इस प्रदर्शनकारी पहचान में शक्तिविहीनता और पीड़ित होना दर्शाया जाता है जोकि नारीत्व के ''मैडोना तथा वेश्या'' की दोहरी संकल्पना पर आधारित है तथा दोनों ही, नारी को शक्तिविहीन बनाती हैं। ऐसी प्रदर्शनकारी पहचान उन परिस्थितियों में सशक्तिकरण करने में सहायक होती हैं जब वे पुरुषत्व और नारीत्व के सकारात्मक एवं शक्तिशाली विचारों पर आधारित हों। गहरे बैठे शक्ति संतुलनों, चाहे वे विषमलैंगिक, समलैंगिक या अंतरलिंगी संबंधों में ही क्यों न हों, से यौनिक स्वायत्तता, स्वतंत्रता एवं स्व–निर्धारण का अधिकार प्राप्त करने में जटिल समस्यायें उत्पन्न होती हैं।

2 हिजड़ा ऐसा व्यक्ति होता है जो जीव विज्ञान में परिभाषित पुरुष अथवा स्त्री जेन्डर की पहचान को अपना सकता है। अधिकतर हिजड़े जन्म के समय पुरुष होते हैं तथा कुछ हिजड़े जन्म के समय अंतरलिंगी या इंटरसैक्सड/हरमैफ़्रर्डाइट भी होते हैं।

3 कोथी शब्द का प्रयोग स्थानीय भिन्नताओं के साथ पूरे दक्षिण एशिया में होता है। कोथी स्वयं को अंग्रेजी न बोलने वाले तथा स्त्री सुलभ समलैंगिक गुणों वाले व्यक्ति मानते हैं जो समलैंगिक अथवा अंतरलिंगी पहचान से भिन्न होते हैं।

4 देवदासी उस समुदाय की महिलाओं को कहा जाता है जो मन्दिरों में वेश्यावृत्ति में संलग्न है।

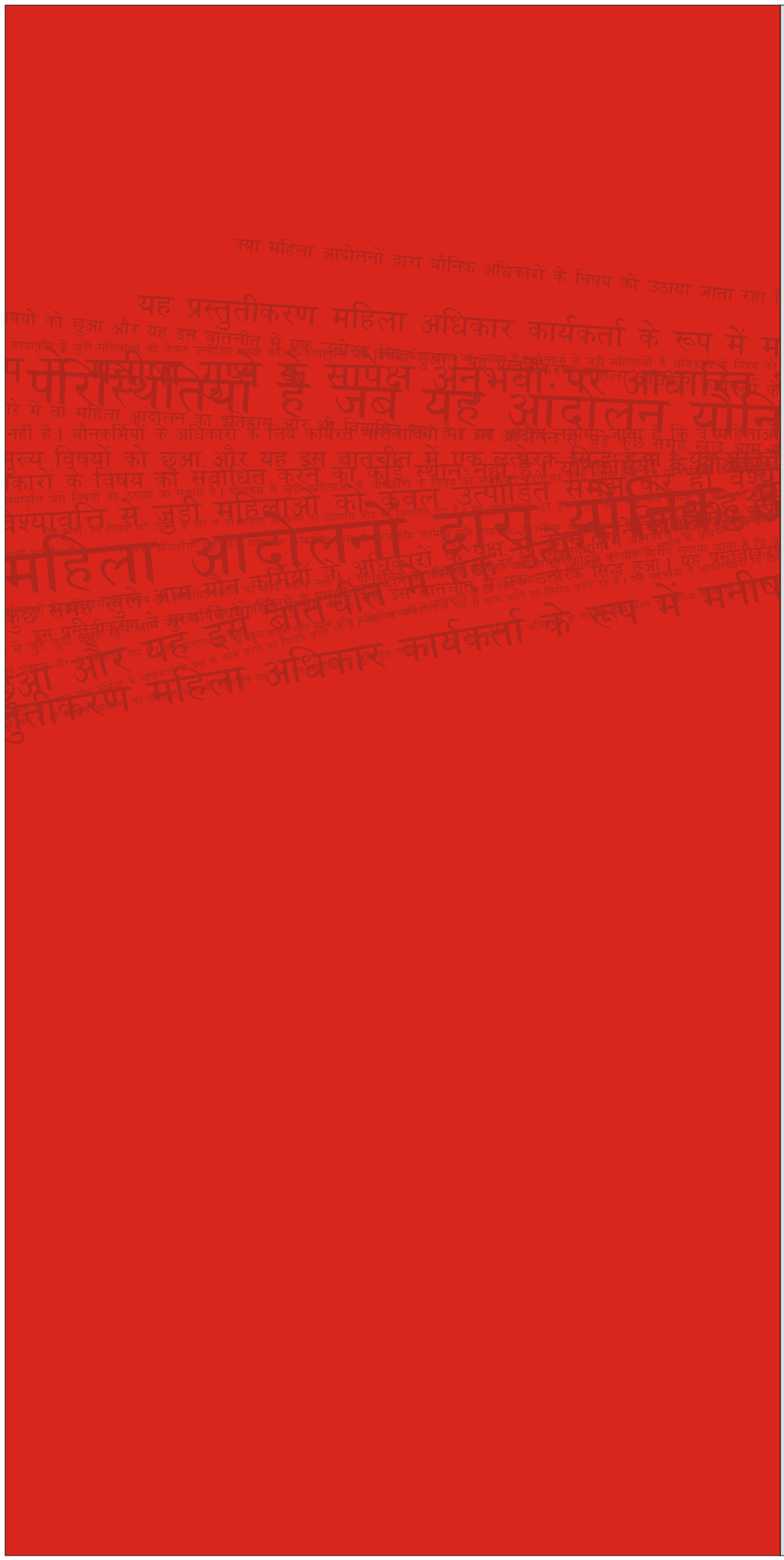

महिला आंदोलन और यौनिक अधिकार

पिछले 25 वर्षों में, महिला आंदोलनों के अंतर्गत भारत में अनेक विषयों को उठाया गया है और यह आंदोलन यौनिकता से संबंधित विषयों को उठाने वाले अपनी तरह के पहले आंदोलन थे। फिर भी, महिला आंदोलनों तथा यौनिकता के बीच के संबंध और इन संबंधों का विकास समस्याओं से अछूता नहीं रहा है। इस संदर्भ में, इस सत्र के दौरान दो मुख्य प्रश्नों पर विचार किया गया:

- क्या महिला आंदोलनों द्वारा यौनिक अधिकारों के विषय को उठाया जाता रहा है?
- वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जब यह आंदोलन यौनिक अधिकारों से जुड़ा नहीं रहा?

पश्चिमी भारत के पूणे नगर में कार्यरत समुदाय आधारित महिला संगठन, महिला सर्वांगीण उत्कर्ष मण्डल (मासूम) की मनीषा गुप्ते द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण के साथ ही इन विषयों पर बातचीत का आरम्भ हुआ। इस प्रस्तुतीकरण ने मुख्य विषयों को छुआ और यह इस बातचीत में एक उत्प्रेरक सिद्ध हुआ। यह प्रस्तुतीकरण महिला अधिकार कार्यकर्ता के रूप में मनीषा गुप्ते के सापेक्ष अनुभवों पर आधारित था और इसका उद्देश्य भारत में समग्र महिला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करना नहीं था।

आरंभिक प्रस्तुतीकरण

मनीषा गुप्ते, मासूम

मनीषा गुप्ते के प्रस्तुतीकरण के आरंभ में 1960–70 के वामपंथी आंदोलन के अंतर्गत महिला आंदोलनों की शुरुआत के बारे में बताया गया। वामपंथी संघर्ष में भाग ले रहे नारीवादियों ने पितृसत्ता या पिता की प्रधानता के बारे में प्रश्न उठाने आरंभ कर दिये थे। इन प्रश्नों को उस समय 'महिलाओं के प्रश्न' के रूप में भी जाना गया।

1970 के दशक में स्वतंत्र महिला समूहों ने हिंसा तथा राज्य एवं परिवार द्वारा की जा रही हिंसा के विषय को उभरते हुये महिला आंदोलनों के मंचों पर रखना आरंभ किया। 1970 के दशक में ही स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे उठाये गये। इसके बाद 1980 के दौरान प्रजनन अधिकारों तथा 1990 के मध्य में मानसिक स्वास्थ्य व यौनिकता जैसे मुद्दों को उठाना आरंभ किया गया।

आंरभ में यौनिकता के बारे में भारतीय महिला आंदोलनों के विचार पश्चिमी देशों के नारीवादी लेखकों के लेखों से प्रभावित थे। आंदोलन के आरंभ के दिनों में यौनिकता से संबंधित विषयों को उठाना कठिन होता था क्योंकि वामपंथी राजनीतिक विचारधारा में इसे मध्यवर्गीय विषय माना जाता था और यौनिकता के पक्षधरों पर महिलाओं में समलैंगिकता प्रचारित करने का आरोप लगाया जाता था। महिलाओं में यौनिकता को नकारात्मक रूप से देखा जाता था और इसके अंतर्गत बलात्कार तथा अश्लीलता जैसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाता था। अब इस स्थिति में कुछ हद तक बदलाव आया है और अब नारी शरीर के प्रदर्शन को पूरी तरह केवल अश्लील नहीं माना जाता। यद्यपि समलैंगिक एवं द्विलिंगी (बाइसैक्सुअल) महिलायें परंपरागत रूप से महिला आंदोलन से जुड़ी रही हैं फिर भी, अभी तक समलैंगिक स्त्रियों की यौनिकता का विषय इन आंदोलनों में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता।

चूंकि अपने आंरभिक दिनों में भारतीय महिला आंदोलन में अलग–अलग विषय उठाये जाते रहे जिसमें समाजवादी तथा अतिवादी नारीवाद आदि के विभिन्न विषय उठाये जाते रहे। इस स्वरूप में भारत में यह आंदोलन किसी एक विचारधारा को संपुष्ट करने की अपेक्षा एक तरह से वृहत आंदोलन बन गया जिसके अंतर्गत नारीवाद की विभिन्न विचारधाराओं को आश्रय मिला। इसलिये यौनिकता से संबंधित विषयों को इसमें सम्मिलित किये जाने पर इसमें संकुचन की अपेक्षा ऐसा माना गया कि इसका कार्यक्षेत्र बाहर की ओर विस्तृत ही होगा।

समय व्यतीत होने के साथ–साथ महिलाओं के आंदोलन के वर्ग आधारित स्वरूप में कमी आई है क्योंकि आरंभिक दिनों के समाजवादी नारीवाद का स्थान अब अधिक मौलिक नारीवाद चेतना ने ले लिया है। यद्यपि इस नये विषय के उदगम को एक सकारात्मक पहल माना जाता है परन्तु इसका अर्थ यह भी हुआ कि

आंदोलन ने अपने कुछ अपरिवर्तनीय सिद्धान्तों और मूल्यों को खो दिया है। इस आंदोलन के अंतर्गत मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं की यौनिकता से संबंधित विषयों तथा विषमलैंगिकता व समलैंगिकता के बीच के शक्ति संतुलनों को भी पर्याप्त रूप से नहीं उठाया गया है।

समय बीतने के साथ–साथ महिला आंदोलन में भी समानता या बराबरी के विचार में परिवर्तन आया है। पहले समानता का अर्थ 'पुरुषों के समान' होना माना जाता था परन्तु अब 'समान परन्तु फिर भी अलग होने' जैसे नारीवादी विचार महिला आंदोलन में अधिक देखे जाते हैं। अब भिन्नताओं की राजनीति को अधिक स्वीकारा जाता है और यह भी स्वीकारा जाता है कि वर्ग, जाति, यौनिकता जैसी भिन्नताओं को स्वीकार करने से भेदभाव बढ़ता है। यह समझ लिया गया है कि जब 'सबके लिये स्वास्थ्य' की परिकल्पना में उपेक्षित वर्ग नहीं सम्मिलित नहीं किये जाते तो इन परिस्थितियों में भिन्नताओं के बारे में बात करना आवश्यक हो जाता है।

आंदोलन के अतर्गत भी 'पहचान की राजनीति' पर प्रश्न चिन्ह खड़े किये जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये समलैंगिक स्त्रियों के ऐसे समर्थक कार्यकर्ता हैं जो मुसलमानों का विरोध करते हैं या ऐसे वामपंथी हैं जो समलैंगिकों के प्रति द्वेष रखते हैं। यहाँ झूठे गठजोड़ (;जैसे सरकार समर्थक महिला संगठनों से साझेदारी) बनाने के प्रति भी प्रश्न खड़े किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि महिला आंदोलन का आधार धर्मनिरपेक्षता है और यह हमेशा ही सांप्रदायिकता का विरोध करता रहा है। इसके साथ ही साथ मिथकों को तोड़े जाने की भी आवश्यकता है जैसे यह मानना कि 'प्रजनन अधिकार' तो एक विषमलैंगिक विषय है जबकि 'यौनिक अधिकार' समलैंगिक स्त्रियों से संबंधित एक विषय है।

विचार–विमर्श

इस विषय पर गहन विचार–विमर्श के दौरान अनेक सहभागियों ने यह विचार प्रकट किये कि यौनिकता से संबंधित विषयों को उठाने के संबंध में महिला आंदोलन का इतिहास मिला–जुला ही है। कुछ विषयों को इस आंदोलन के अंतर्गत उठाया गया है जबकि कुछ अन्य विषयों को छोड़ दिया गया है। ऐसा लगता है मानों

गैर–विषमलैंगिकता जैसे विषय को महिलाओं के अन्य मामलों के समान उठाने के प्रति महिला आंदोलन में भीतर ही भीतर कहीं कोई द्वंद है। 1998 में 'फायर' फिल्म को प्रतिबंधित किये जाने का विरोध कर रहे महिला समूहों ने समलैंगिक महिलाओं के समूह पर इस विरोध प्रदर्शन को 'अगवा' कर लेने का आरोप लगाया था। आज भी महिलाओं के अधिकारों के लिये कार्यरत लोग हमेशा ही समलैंगिक महिलाओं से संबंधित विषयों में हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि इन्हें सामान्य अधिकारों की अपेक्षा समलैंगिक स्त्रियों के अधिकारों का विषय समझा जाता है।

यौन कार्यों जैसे विषयों को उठाने के बारे में तो महिला आंदोलन का इतिहास और भी विवादित रहा है। इस आंदोलन से जुड़े कुछ समूह खुले आम यौन कर्मियों के अधिकारों के पक्ष में काम करने का विरोध करते रहे हैं। एक सहभागी ने जानकारी दी कि किस प्रकार उन्हें महिलाओं के परित्याग, संपत्ति के अधिकार और ग्रामीण महिलाओं के अन्य अधिकारों पर काम करते हुये नारीवादी कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था परन्तु जैसे ही उन्होंने यौनकर्मियों के बीच कार्य करना आरंभ किया तो एक नारीवादी कार्यकर्ता के रूप में उनके अब तक किये गये सभी कार्यों को भुला दिया गया और उन्हें एक बाहरी व्यक्ति समझा जाने लगा।

महिला आंदोलन में वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं को केवल उत्पीड़ित समझ कर ही वेश्यावृत्ति जैसे विषयों को उठाया जा सकता है। यौनकर्म से जुड़ी महिलाओं के अधिकारों के विषय को संबोधित करने का कोई स्थान नहीं है। यौनकर्मियों के अधिकारों के लिये कार्यरत नारीवादियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे महिलाओं को यौन रूप से उत्पीड़ित होने में सहायता करते हैं। इस आंदोलन के अंतर्गत यौनकर्मियों की व्यथा सुनने के लिये कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। आंदोलन के कार्यकर्ता यह समझते हैं कि वे स्वयं ही इन यौनकर्मियों की ओर से बोल सकते हैं या यौनकर्म से जुड़ी महिलाओं के यथार्थ का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यौनकर्मियों द्वारा अपने अनुभव बताने और महिला आंदोलन द्वारा उन्हें संबोधित किय जाने में भी काफी अंतर है।

एक अन्य सहभागी का विचार था कि मुख्य महिला आंदोलन द्वारा उपेक्षित यौनिकताओं से जुड़े विषयों को उठाते समय उनकी

भूमिका संरक्षक की तरह रहती है। मुख्य महिला आंदोलन ही उपेक्षित वर्ग की विचार–धारा पर नियंत्रण रखता है और उनकी तरफ से विचार प्रकट करता है। कभी–कभी तो उपेक्षित समुदायों द्वारा अपने विचार रखे जाने से पहले ही मुख्य आंदोलन उनकी तरफ से अपने विचार प्रकट कर देता है। आंदोलन के अंतर्गत उपेक्षित समुदायों के प्रति इस प्रकार की संरक्षणकारी भूमिका निभाने के बदले में उपेक्षित समुदायों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आंदोलन के प्रति अपना आभार व्यक्त करें।

इन सब आलोचनाओं के बाद भी बहुत से सहभागियों का मानना था कि महिला आंदोलन ही एकमात्र प्रगतिवादी आदोलन है जिसने सक्रिय रूप से यौनिकता से जुड़े विषयों को उठाया है। यौनिक अधिकारों के बहुत से पक्षधर इस महिला आंदोलन का भाग हैं जो परम्परागत रूप से हमेशा ही यौनिक अधिकारों की राजनीति की प्रशिक्षण स्थली रहा है। आज महिला आंदोलन यौनिकता के बारे में स्वयं को एक प्रकार की दोहरी जकड़न में पाता है। यौनिक अल्पसंख्यकों के समूह महिला आंदोलन पर विवाह और विवाह पश्चात अपने साथी के प्रति निष्ठा रखने जैसे विचार को प्रतिपादित करने का आरोप लगाते हैं जबकि समाज द्वारा इन पर विवाह और निष्ठावान विवाहित जीवन जैसी संस्थाओं को तोड़ने का आरोप लगाया जाता है।

महिला आंदोलन के अंतर्गत बहुत से समलैंगिक स्त्रियों के समूह भी स्थापित हुये हैं और समलैंगिक स्त्रियों से जुड़े विषयों को अनेक प्रकार से उठाया जाता रहा है। एक सहभागी ने महिला आंदोलन के अंतर्गत समलैंगिक स्त्रियों के विषयों को उठाये जाने के कई उदाहरण सामने रखे। इन उदाहरणों में, 1980 के दशक के दौरान समलैंगिक स्त्रियों के लिये आयोजित कैम्प, समलैंगिक यौन जीवन के विषय पर निबंधों के संकलन 'हमजिन्सी' का प्रकाशन 1990 में, कालीकट में आयोजित महिला अध्ययन की अखिल भारतीय एसोशिएशन की वार्षिक बैठक तथा तिरुपति में अगले सम्मेलन के लिये योजना बनाने की बैठक में समलैंगिक स्त्रियों की यौनिकता के बारे में एक विशेष सत्र का आयोजन आदि सम्मिलित थे। 1990 के दशक के अंतिम कुछ वर्षों में जेन्डर न्यायोचित कुछ कानूनों से इस बात की पुष्टि हुई कि जेन्डर से संबंधित नियम केवल विषमलैंगिकता के संदर्भ में ही तैयार नहीं किये जा सकते।

अपनी आंतरिक बैठकों में विचार–विमर्श के दौरान महिलाओं के स्वतंत्र स्वायत्त समूहों ने विवाह और परिवार जैसी संस्थाओं में पितृ प्रधानता को चुनौती दी हैं और विषमलैंगिक और समलैंगिक संबंधों के यथार्थ पर विचार–विमर्श किये हैं और विवाह को एक नया रूप व नया अर्थ देने के प्रयास किये हैं। महिला आंदोलन से जुड़ी बहुत सी कार्यकर्ताओं ने इस विषय पर भी प्रश्न खड़े किये हैं कि क्या यौनिक अल्पसंख्यकों के समूह कभी भी किसी भी स्तर पर महिलाओं के आंदोलन या महिलाओं से संबंधित विषयों से जुड़े हैं या इन समूहों ने हमेशा यौनिकता की राजनीति ही की है जिसमें जेन्डर, जाति, वर्ग, धर्म आदि विचारों के लिये कोई स्थान नहीं है।

इस संदर्भ में सहभागियों ने इस बात पर विचार किया कि किसी भी आंदोलन द्वारा किसी विषय को उठाये जाने का निर्णय केवल उस आदोलन की राजनीतिक विचारधारा से निर्धारित नहीं होता बल्कि इसका निर्धारण वित्त व्यवस्था करने वाले संस्थानों और सहभागिताओं के आधार पर भी होता है। वित्त व्यवस्था किये जाने की प्रक्रिया में भी संक्षेप में चर्चा की गई। कुंछ सहभागियों का मानना था कि वित्त सहायता से शक्ति मिलती है और वित्त सहायता प्राप्त न करने वाले समूह प्रायः शक्तिविहीन होते हैं। अन्य कुछ सहभागियों के विचार इससे भिन्न थे। उनका मानना था कि वित्त सहायता प्राप्त न करने वाले समूह का नैतिक आधार होता है। आंदोलन में कार्यकर्ता प्रायः वित्त की व्यवस्था के साथ और इसके बिना, दोनों ही परिस्थितियों में काम करते हैं। वित्तीय सहायता प्राप्त करने से कोई आंदोलन अधिक प्रभावी या अप्रभावी नहीं हो जाता। परन्तु वित्तीय सहायता मिलने के पश्चात काम करने के तरीकों में कैसे परिवर्तन होते हैं?क्या आर्थिक सहायता मिलने से मौलिक विचारों, उग्रता या सहजता में किसी प्रकार की कमी आ जाती है?क्या आर्थिक सहायता दे रहे लोगों द्वारा दिये गये निर्देशों को किसी तरह अनदेखा किया जा सकता है?

एक सहभागी ने अपना अनुभव बताया कि किस प्रकार उनकी संस्था ने धनराशि उपलब्ध करा रहे लोगों द्वारा दिये गये निर्देशों का लगातार विरोध करते हुये अपने ही निर्धारित नियमों को लागू करने पर जोर दिया। वित्तीय व्यवस्था कर रहे संस्थान का विचार था कि परियोजना को सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित किया जाये जबकि उनके संगठन ने कहा कि हमेशा की तरह उस परियोजना को केवल यौनकर्मी ही संचालित करते रहेंगे। इस

संदर्भ में आंदोलन के अंतर्गत कार्यरत समूहों द्वारा लगातार यौनिकता से जुड़े विषयों को उठाये जाने के प्रयास करते रहने की आवश्यकता है।

यौनिक अल्पसंख्यक समूह और यौनिक अधिकार

पिछले एक दशक के दौरान भारत में कुछ 'यौनिक अल्पसंख्यक समूहों' का उदय हुआ है। भारत में इस क्षेत्र में कार्यरत अनेक समूहों ने 'यौनिक अल्पसंख्यकों के समूहों' के रूप में परिभाषित किये जाने का विरोध किया है।

- क्या यौनिक अल्पसंख्यकों के समूह यौनिक अधिकारों के विषयों से जुड़े हैं?
- वे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ ये समूह यौनिक अधिकारों से नहीं जुड़े हैं?

इस बारे में पूरा विचार–विमर्श इन्हीं दो प्रश्नों को ध्यान में रखकर किया गया।

पश्चिमी भारत के पूणे नगर में समलैंगिक और द्विलिंगी महिलाओं के स्वायत्त संगठन ''ओलावा'' की प्रतिनिधि चतुरा द्वारा इस विषय पर आरम्भिक प्रस्तुतीकरण किया गया। यह प्रस्तुतीकरण उनके सापेक्ष अनुभवों पर आधारित है।

आरंभिक प्रस्तुतीकरण

चतुरा, ओलावा

चतुरा द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण में तीन उदाहरणों के माध्यम से यौनिक अधिकारों के अर्थ को समझने के प्रयास किये गये और इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिये अपनाई गई विभिन्न कार्य योजनाओं की जानकारी ली गई। उनके द्वारा दिये गये ये उदाहरण निम्नलिखित से संबंधित थे :

- वर्ष 2002 में निप्पाणी की घटना जहाँ एक ग्रामीण समुदाय ने यौनकर्मियों को अपने ही स्थलों पर बैठकें आयोजित करने या

इनमें भाग लेने पर रोक लगा दी।

- किसी संस्थान में कार्य कर रहे हिजड़े का उदाहरण जिसे उस संस्थान द्वारा उसी शहर में यौनकर्म करने की मनाही कर दी गई।
- वह घटना जहाँ धार्मिक उन्माद के कारण अपने कार्यालय में शरण लेने वाली एक द्विलिंगी मुस्लिम महिला पर आरोप लगाया गया कि उसने ऐसा करके अपने कार्यालय का दुरुपयोग किया है।

इस प्रस्तुतीकरण के पश्चात निम्नलिखित प्रश्न उठाये गये :

- यौनिक अधिकारों की भाषा का प्रयोग करते हुये इस प्रकार की घटनाओं को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है एवं समझा जाता है?
- इन अधिकारों को प्रस्तुत करने या इनकी माँग करने के लिये और किस तरह की भाषा प्रयोग में लाई जा सकती है।
- यौनिक अल्पसंख्यकों के समूहों ने किस प्रकार स्वयं को यौनिक अधिकारों के विषय के इर्द–गिर्द संगठित किया है?
- इन समूहों और दूसरे आदोलनों के बीच किस तरह की सहभागितायें निर्मित हुई हैं?
- क्या यौनिक अल्पसंख्यकों के इन समूहों द्वारा अपने अधिकारों की माँग करने पर किसी तरह की प्रतिक्रिया हुई है?
- वित्तीय व्यवस्था से इन समूहों के संगठन पर क्या प्रभाव पड़े हैं?
- राज्य प्रशासन के समक्ष किस प्रकार की माँगें रखी जा रही हैं?
- गैर–राजकीय प्रतिभागियों या कार्यकर्ताओं द्वारा अधिकारों का हनन किये जाने पर यौनिक अल्पसंख्यकों के समूह कैसी प्रतिक्रिया करते हैं?

विचार–विमर्श

इस प्रस्तुतीकरण को देखने के पश्चात एक सहभागी ने यौनिक अधिकारों तथा संस्थागत नियमों और अधिनियमों के स्वरूप के बीच भिन्नता को पहचानने की आवश्यकता पर बल दिया। 'कार्यालय में धूम्रपान न करने' का नियम एक संस्था द्वारा निर्धारित नियम है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह संस्था धूम्रपान का विरोध करती है। इसका अर्थ केवल इतना है कि धूम्रपान के लिये कार्यालय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यौनिक अधिकारों के संदर्भ में, 'कार्यालय के समय में यौन संबंध नहीं' या 'कार्यालय के समय में यौन कार्य नहीं' की नीति का यह अर्थ नहीं है कि वह संस्था यौनकार्यों का विरोध करती है। इसका सीधा अर्थ केवल इतना ही है कि कार्यालय के समय का प्रयोग यौन संबंधों और यौनकार्यों के लिये नहीं किया जा सकता।

एक सहभागी ने यह माँग रखी की बैठक के दौरान एक स्वायत्त समलैंगिक एवं द्विलिंगी महिला समूह तथा उसके समर्थनकारी समुदाय आधारित महिला संगठन के बीच के विवाद पर चर्चा करने का समय दिया जाये। इस सहभागी का विचार था कि इस तरह की चर्चा से यौन संबंधों से जुड़े विषय उठेंगे, उभरते हुये समलैंगिक एवं द्विलिंगी महिला समूहों तथा पहले से स्थापित महिला संगठनों की संयोजन क्षमताओं को जोड़कर देखा जा सकेगा तथा इससे समर्थनकारी नेटवर्कों की विफलताओं व इनके कारणों को जाना जा सकेगा। परन्तु बहुत से दूसरे सहभागियों ने ऐसी किसी चर्चा में भाग लेने पर असहजता जताई जहाँ किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच के विवाद को संबोधित करना था जबकि दोनों ही व्यक्ति उस बैठक में उपस्थित थे। बहुत से आंमत्रित सहभागियों ने कहा कि वे इस बैठक में किसी विशेष विवाद का निपटारा करने के लिये नहीं अपितु यौनिक अधिकारों के विषय को संबोधित करने के लिये एकत्रित हुये हैं। आयोजनकर्ताओं को लगा कि इस विषय पर बात करने का अर्थ यह होगा कि विवाद से जुड़े प्रत्येक तथ्य को देखा जाये जिससे कि केवल उसी संस्था से जुड़ा विषय उठेगा न कि यौन अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों से संबंधित मुख्य विषय पर बात होगी।

यौनिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिये किये जा रहे संघर्ष में

वैधानिक कार्य योजनाओं के प्रयोग पर गहन विचार–विमर्श हुआ। एक सहभागी ने इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिये कानून का सहारा लेने के तीन तरीके सुझाये :

- सुधारवाद या कानूनी बदलाव। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को हटाने या विधान में से 'अप्रातिक यौन' जैसे शब्दों को हटाने के प्रयास सुधारवाद का उदाहरण हैं।

- किसी नियम में गहरे पैठे विषयों को संबोधित करना जैसे कि समलैंगिक संबंधों से द्वेष रखना या जेन्डर के आधार पर भेदभाव करना आदि।

- व्यवहारिकता या ऐसे विश्व की परिकल्पना लोगों के समक्ष रखना जो आप तैयार करना चाहते हैं। उदाहरण के लिये जेन्डर अधिकारों के अंतराष्ट्रीय कानून से जेन्डर पहचान के बारे में सकारात्मक सोच का पता चलता है।

अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिये कानून का सहारा लेते समय यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की वैधानिक कार्य योजनायें अपनाई जायें। कानून में सुधार के कार्य अपने आप आरंभ नहीं होते और ना ही इन्हें अतिम लक्ष्य मान लेना चाहिये। इन सुधारों का दूसरी वैधानिक या सामान्य कार्य योजनाओं में समाहित होना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिये कानून में परिवर्तन की किसी प्रार्थना को जनसामान्य की विचारधारा बदलने के लिये भी प्रयोग में लाया जा सकता है। सहभागियों का विचार था कि धारा 377 को हटाये जाने के लिये चलाया जा रहा अभियान बहुत अच्छी तरह से संघटित नहीं हुआ है और इसमें राजनीतिक विचारधारा का अभाव है। धारा 377 को हटाये जाने की मुख्य माँग को इस तरह तैयार नहीं किया गया है कि इससे नयी सहभागिता बन सकें और अलग–अलग विचारों के लोग इस अभियान से जुड़ सकें। ऐसे प्रयास करते समय उसी विषय पर कार्यरत सभी संगठनों को एक साथ लाया जाना चाहिये, जन प्रतिक्रियायें संघटित की जानी चाहिये। इसके लिये यदि आवश्यक हो तो प्रदर्शन और सड़कों पर विरोध जताया जाना चाहिये।

कानून में सुधार की किसी भी माँग को रखने से पहले सामाजिक,

राजनीतिक और सांस्तिक घटनाक्रम पर विचार किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये 2004 में सरकार द्वारा समर्थित राजनीतिक दल यौनकर्म का विरोध कर रहा था। इन परिस्थितियों में क्या यह उचित होगा कि वेश्यावृत्ति को अपराध न माने जाने की माँग सामने रखी जाती? क्या कानून में सुधार के लिये किये गये किसी भी प्रयास के फलस्वरूप ऐसा संभव नहीं है कि लागू किया जाने वाला नया कानून यौनकर्मियों के लिये और भी कठिनाईयाँ पैदा करे?

एक सहभागी ने अपने अनुभव बताये कि किस तरह वह न्यायालय में हिजड़ों की पैरवी करते समय भेदभाव के गहन मुद्दों को उठाते हैं। आमतौर पर न्यायाधीश हिजड़ों को आदर की दृष्टि से नहीं देखते और उन्हें सरेआम बेइज्ज़त करते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को चुनौती देकर यह अधिवक्ता न केवल उस न्यायाधीश को एक संकेत भेजता बल्कि इससे न्यायालय में उपस्थित दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। ऐसा करने से लोगों के मन में हिजड़ों के प्रति राय में परिवर्तन भी आता है। ऐसी घटनाओं पर मीडिया के ध्यान देने और लोगों की राय से न्यायालयों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता है।

यौनिक अल्पसंख्यकों से संबंधित कुछ मामले भारतीय न्यायालयों में भी उठाये गये हैं। केरल के त्रिस्सूर में एक न्यायाधीश ने समलैंगिक महिलाओं से संबंधित एक मामले में निर्णय दिया कि दो महिलायें एक साथ रह सकती हैं। गुजरात के एक न्यायालय ने एक ट्रॉससैक्शुॲल व्यक्ति को संपत्ति न दिये जाने के मामले को सुना। बैंगलौर में एक न्यायालय ने यौनिक अल्पसंख्यकों के एक समूह के विरुद्ध अपरहरण का मामला दर्ज किया। यह समूह नजरबंद की गई दो महिलाओं की सहायता का प्रयास कर रहा था।

इस विचार–विमर्श में यौनिक अल्पसंख्यकों के समूह द्वारा अपनाई जा रही अन्य कार्य योजनाओं पर भी विचार किया गया। बैंगलौर में इन समूहों ने पुलिस द्वारा हिंसा, यौन हिंसा और मारपीट जैसे मामलों को उठाने के लिये मानवाधिकार समूहों के साथ गठजोड़ बनाये हैं। किसी विशिष्ट पहचान पर आधारित यौनिक अल्पसंख्यकों के समूह के कामकाज पर वर्ग एवं धनाड्यता का

प्रभाव पड़ता है। मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग से संबंधित विषयों को प्रस्तुत किया जाता है और इस मामले में कहीं भी कोई विशेष भिन्नता नहीं है। भेदभाव किये जाने के डर से एच.आई.वी. बाधित लोग ऐसे मंचों पर आने से डरते हैं और यौनकर्मियों को इन मंचों पर स्वीकार नहीं किया जाता जबकि यौनिक अल्पसंख्यकों के बहुत से समूहों ने यौनकर्मियों के संगठनों से साझेदारियाँ की हैं।

यौनिक अल्पसंख्यकों के समूहों द्वारा अन्य प्रकार के संघर्षों से गठजोड़ तैयार करने की प्रक्रिया के संदर्भ में यह आवश्यक है कि गठजोड़ या साझेदारी तैयार करने की कार्य योजना में निहित राजनीति को समझा जाये। ऐसा करते समय क्या शुद्ध राजनीति अपनानी चाहिये या व्यावहारिक राजनीति को वरीयता दी जानी चाहिये? उदाहरण के लिये गुजरात में अनेक संगठन पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले समलैंगिक पुरुषों के बीच काम करते हैं परन्तु वर्ष 2002 में मुसलमानों के कत्लेआम के विषय पर इन समूहों का क्या दृष्टिकोण है?

एक सहभागी ने विचार रखा कि यद्यपि भारत में यौनिक अल्पसंख्यकों के अनेक समूह हैं फिर भी यह किसी आंदोलन का रूप नहीं ले पाया है। उनका मानना था कि वर्तमान विचारधारा में एक व्यावहारिक और आदर्श दृष्टिकोण की कमी है; एच.आई.वी./एड्स तथा यौनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम हुआ है जोकि कुछ हद तक प्राप्त आर्थिक सहायता पर आधारित है। इस कारण से किसी आन्दोलन के उदय होने में रुकावट आती है क्योंकि विचारधारा या राजनीति की अपेक्षा कार्यक्रम चलाने पर अभी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। बहुत से समूह यह प्रचारित करते हैं कि वे समलैंगिक स्त्रियों, पुरुषों, द्विलिंगियों और ट्रॉससैक्शुॲल व्यक्तियों (एलजीबीटी) के लिये कार्य करते हैं जबकि उनके कार्यों में समलैंगिक महिलाओं और ट्रॉससैक्शुॲल व्यक्तियों के लिये कोई प्रयास दिखाई नहीं पड़ते। अन्य समूह अपने कार्य को 'यौनिक अधिकारों' के लिये किया गया कार्य मानते हैं परन्तु उसमें भी कहीं यौनिकता व अधिकारों के लिये किये गये प्रयास दिखाई नहीं पड़ते। दूसरी ओर, कुछ संगठन जो यौनिक अल्पसंख्यकों से संबंधित विषयों पर कार्य करते हैं वे स्वयं को समलैंगिक स्त्रियों, पुरुषों, द्विलिंगियों और ट्रॉससैक्शुॲल व्यक्तियों (एलजीबीटी) या यौनिक अल्पसंख्यकों के लिये कार्य करता हुआ नहीं मानते।

यौनिक अल्पसंख्यकों के लिये कार्यरत समूहों में भी समलैंगिक पुरुषों और समलैंगिक स्त्रियों के समूहों के बीच बहुत कम मेल–मिलाप या सहभागितायें होती हैं। समलैंगिकता की विचारधारा के बीच भी वे अपना अलग–अलग स्थान रखते हैं। यौनिक अल्पसंख्यकों के इन छोटे–छोटे समूहों की आपसी भिन्नताओं को देखते हुये क्या किसी दीर्घकालिक गठजोड़ का निर्माण कर पाना सम्भव हो सकता है?

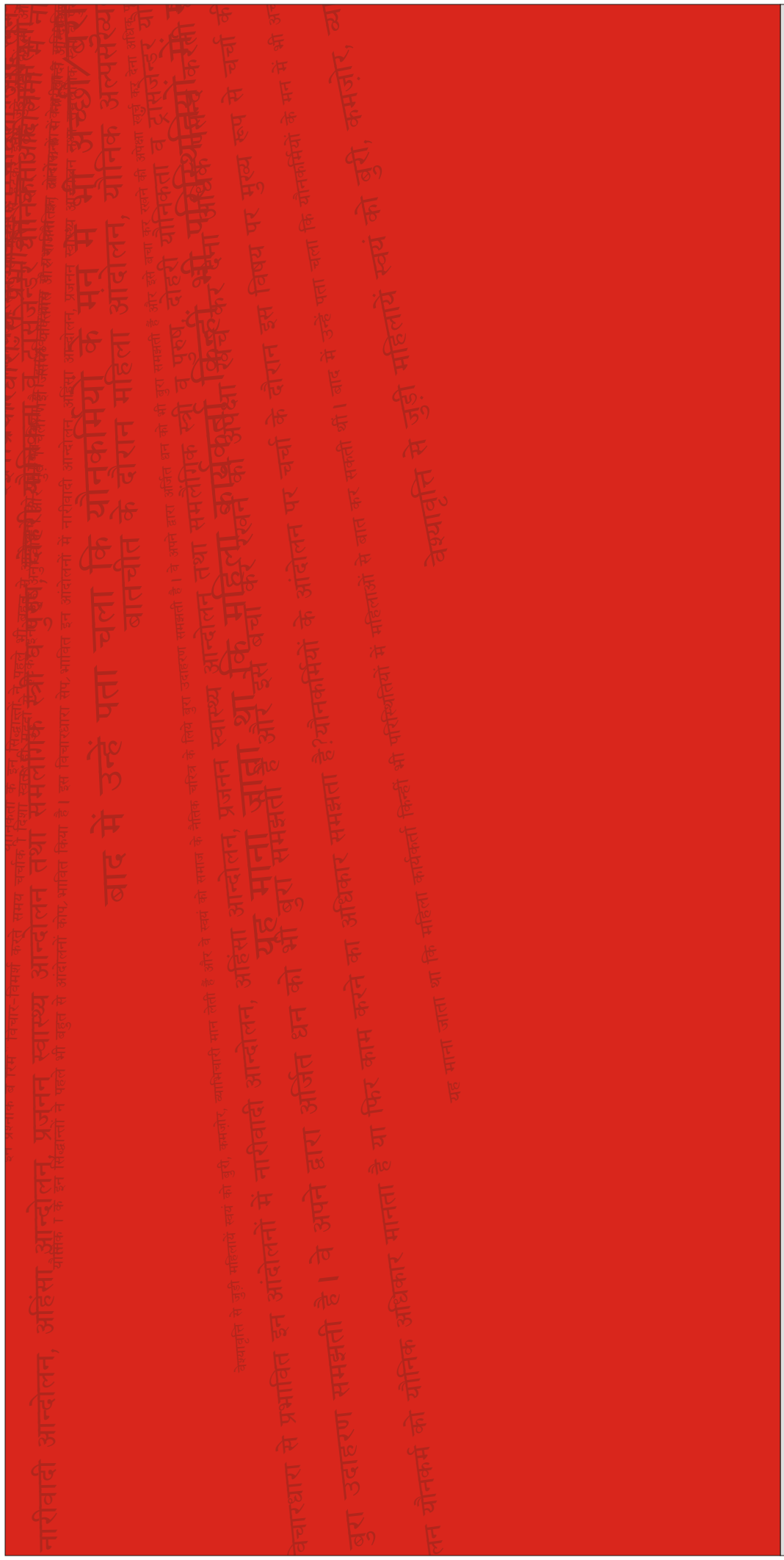

यौनकर्मियों का आंदोलन और यौनिक अधिकार

भारतीय संदर्भ में परंपरागत रूप से देह व्यापार से जुड़े लोगों को आमतौर पर पीड़ित लोगों की संज्ञा दी जाती रही है। यौनकर्मियों के अधिकारों की माँग पहले–पहल 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध में प्रस्तुत की गई जब एच.आई.वी./एड्स के कारण यौनकर्मियों के साथ काम करने वाले संगठनों का उदगम हुआ। मानेसर की बैठक में यौनकर्मियों के अधिकारों पर चर्चा करते हुये यह जानने का प्रयास किया गया कि यौनकर्मियों के इस उभरते हुये आंदोलन में यौनिक अधिकारों के लिये किस प्रकार कार्य किया जा रहा है और इसमें किस तरह की कमियां हैं?

इस खण्ड में पश्चिमी भारत के सांगली स्थित संग्राम संगठन की मीना शेशु और दक्षिण भारत के केरल में स्थित मानसिक स्वास्थ्य में एकीत शोध के संस्थान (फर्म) के मैत्रेय द्वारा प्रस्तुतीकरण दिये गये। यह दोनों ही संस्थान यौनकर्म से जुड़े लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिये कार्य करते हैं। अपने–अपने प्रस्तुतीकरणों में दोनों ही सहभागियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव रखे।

प्रस्तुतीकरण

मीना शेशु, संग्राम

मीना शेशु ने बताया कि किस प्रकार 1990 के दशक के मध्य में जब उन्होंने वेश्यावृत्ति पर काम करना आरंभ किया तो उनके समक्ष केवल दो विचार थे; वेश्यावृत्ति के बारे में हिन्दी फिल्मों द्वारा दर्शाया गया दृष्टिकोण और नारीवाद द्वारा वेश्यावृत्ति का विश्लेषण। उन्हें जिन वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा वे इन दोनों संरचनाओं से बहुत भिन्न थी। इससे उन्हें विवश होकर अपने दोहरे मानकों पर पुनर्विचार करना पड़ा और इस बात के लिये सहमत होना पड़ा कि वह वेश्यावृत्ति को अच्छे या बुरे काम की परिभाषा के अंतर्गत देखती थीं।

ज्यों–ज्यों वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं की वास्तविक स्थिति और उनके मन में पहले से उपस्थित विचारों में विरोध उत्पन्न हुआ तो शेशु को लगा कि शायद वृहत परिदृश्य को जानने के लिये आवश्यक नारीवाद या नैतिक बल उनमें नहीं है। यौनकर्मियों द्वारा बहुत शर्माकर उनसे बात करना उनके द्वारा विकास के अनुभव से मेल नहीं खाता था जिसका मुख्य आधार महिलाओं की आपसी एकता थी। यह माना जाता था कि महिला कार्यकर्ता किन्हीं भी परिस्थितियों में महिलाओं से बात कर सकती थीं। बाद में उन्हें पता चला कि यौनकर्मियों के मन में भी अच्छी/बुरी महिला का विचार उतना गहरा घर कर गया था कि वे भी इन 'अच्छी महिलाओं' से शर्माकर दूर होना चाहती थीं।

वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलायें स्वयं को बुरी, कमज़ोर, व्याभिचारी मान लेती हैं और वे स्वयं को समाज के नैतिक चरित्र के लिये बुरा उदाहरण समझती है। वे अपने द्वारा अर्जित धन को भी बुरा समझती हैं और इसे बचा कर रखने की अपेक्षा खर्च कर देना अधिक पसन्द करती हैं क्योंकि बुरे धन को वे अपने पास नहीं रखना चाहती। उनका मानना है कि वे नैतिक रूप से बहुत कमजोर हैं क्योंकि वे बर्तन माँजने जैसे सख्त काम करने का साहस नहीं जुटा पाती। यद्यपि वेश्यावृत्ति में भी उन्हें कठिन कार्य अनुभव होता है फिर भी वे इसे कठिन नहीं समझती। स्वयं के बारे में ऐसे ही विचार देवदासियों के भी हैं जो अपने समुदाय में शक्तिशाली होने के बाद भी स्वयं को घृणित, निराश्रित और पथभ्रष्ट समझती हैं।

इस प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि किस प्रकार महिलाओं के शरीर और प्रजननशीलता पर नियंत्रण रखने की समाज की प्रवृत्ति के कारण ही वेश्यावृत्ति और यौनकर्म से जुड़ी महिलायें अनैतिकता की विचारधारा में जा फँसी हैं। यदि महिलायें अपनी इच्छानुसार किसी से भी यौन संबंध रखने का चयन करना आरम्भ कर दें या यदि उनकी कोख स्वतंत्र हो जाये तो जाति, वर्ग, धर्म और जातियता की शुद्धता को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस तरह वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलायें इस बात के सांकेतिक और ठोस उदाहरणों के रूप में विद्यमान हैं कि समाज द्वारा निर्धारित यौनिकता के मानदंडों का उल्लंघन करने वाली महिलाओं के साथ क्या होता है। समाज किसी भी धनवान यौनकर्मी को स्वीकार नहीं

करता; इसी तरह ऊँची जाति से संबंध रखने वाली महिला भी यौनकर्म से जुड़ने पर अपनी जाति का प्रभुत्व खो देती है।

संग्राम संगठन ने अंतक्षेपों का आरंभ एच.आई.वी./एड्स, यौन संचारित रोगों और कॉनड्म के प्रयोग पर चर्चा आरंभ करने के साथ किया। चूंकि वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलायें इन यौन संचारित रोगों के बारे में जानकारी रखती हैं इसलिये वे अपने समुदाय की महिलाओं में किन्हीं विशिष्ट यौन संचारित रोगों की पहचान आसानी से कर लेती हैं। अधिकारों के उल्लंघन का मामला उनके जीवन में उस समय सामने आया जब स्वास्थ्य सेवाओं में उनका मुआयना या इलाज करने से मना कर दिया। इन महिलाओं को रंगों के आधार पर विशिष्ट यौन संचारित रोगों के लिये दवाई देने के लिये प्रशिक्षित किया गया। इस जानकारी से लैस इन महिलाओं ने अब धीरे–धीरे स्वास्थ्य सेवाओं के साथ बातचीत के प्रयास आरंभ किये। इस तरह संग्राम संगठन की कार्य योजना में 'अधिकारों' की भावना स्वतः ही घर कर गई।

सरकारी अस्पतालों में निशुल्क इलाज की व्यवस्था होने पर भी महिलाओं ने कर्मचारियों द्वारा बुरा व्यवहार किये जाने के कारण इन सुविधाओं का उपयोग न कर अधिकारों के उल्लंघन की जानकारी दी। उन्होंने अपने उपचार के अधिकार को सामने रखा और इस काम में संग्राम संगठन ने उनकी सहायता की।

वर्तमान में यह संगठन दो स्तरों पर अधिकारों के प्रतिमान का उपयोग करता है :

- इसे वह वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं को संगठित कर उन्हें उनके अधिकार बताने के लिये प्रयोग करता है।
- राज्य के विभिन्न निकायों – पुलिस, न्यायपालिका तथा स्वास्थ्य सेवाओं के साथ पक्षसमर्थन के प्रयासों में इनका प्रयोग करता है।

पिछले कुछ वर्षों से संग्राम संगठन ने वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों के उल्लंघन से जूझने के लिये अधिकारों के प्रतिमान का प्रयोग आरंभ किया है। इसके लिये महिलाओं को एकत्रित कर उनकी समस्याओं पर विचार किया जाता है और

चकला मालकिन, पैसा उधार देने वाले, स्वास्थ्य सेवायें और ग्राहकों द्वारा अधिकारों के हनन के मामले जाने जाते हैं।

अपने कार्य अनुभवों के आधार पर संग्राम संगठन को पता चला कि अधिकारों का हनन/हिंसा तथा स्वायत्तता/स्वतंत्रता कहीं भी अलग–अलग रूप से विद्यमान नहीं होते। किसी भी जीवन प्रक्रिया में यह सभी एक साथ सह–अस्तित्व में रहते हैं। अपनी इच्छा से वेश्यावृत्ति से जुड़ने का निर्णय लेने वाली महिला को भी इस कार्य में उत्पीड़न या हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। संग्राम का यह भी मानना है कि स्वतंत्र चुनाव/जबरन थोपे जाने का विचार एक कृत्रिम विभेद है जबकि यह मान्यता कि महिलायें अपनी स्वतंत्र इच्छा से वेश्यावृत्ति अपनाती हैं, पूरी तरह से आदर्शवादी मान्यता है और यह विचार कि महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिये मज़बूर किया जाता है, पूरी तरह से व्यावहारिक नहीं है।

आरंभिक प्रस्तुतीकरण

मैत्रेय, फर्म

केरल में मैत्रेय सड़क पर वेश्यावृत्ति कर रहे यौनकर्मियों के साथ कार्य करते हैं। यहाँ वेश्यावृत्ति के लिये चकलों जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने यौनकर्मियों के बीच विद्यमान संगठन और एकता के बारे में चर्चा की। यौनकर्मियों को बचाने के उद्देश्य से जब कोई यौनकर्मियों के बीच जाता है तो 80 प्रतिशत से अधिक यौनकर्मी रोते हैं और वहाँ से निकाले जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। परन्तु जब उनके सामने बिना किसी पूर्वाग्रह के खुले दिमाग से बात की जाये तो वे अलग ही वास्तविकतायें बताते हैं।

मैत्रेय के साथ विचार–विमर्श के दौरान सड़क से काम कर रहे 60–70 प्रतिशत यौनकर्मियों का विचार था कि वे यौनकर्म को काम नहीं समझते। 20 प्रतिशत यौनकर्मी इसे ऐसा काम समझते थे जिसमें उन्हें कोई आनन्द नहीं मिलता था। केवल 10 प्रतिशत लोगों का मानना था कि यौनकर्म उनके लिये काम था और वे इससे संतुष्ट थे। जब यह 10 प्रतिशत लोग अपने विचार रख रहे थे तो दूसरे 40 प्रतिशत यौनकर्मी भी अपने विचार बदलकर इसी ओर आ गये और उन्होंने इसे एक काम माना। यौनकर्म को काम

समझने में मुख्य विचार इज्जत का है; सभी यौनकर्मियों के मन में यौनकर्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण गहरे घर कर गया है। जब उन्हें यह लगता है कि यौनकर्म में भी इज्जत है तभी वे इसे काम के रूप में स्वीकार करने के लिये तैयार होते हैं।

सड़क से काम कर रहे यौनकर्मियों को बहुत हिंसा का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने ग्राहकों का चुनाव करते समय सावधान रहना पड़ता है क्योंकि वे चकले के अपेक्षात सुरक्षित वातावरण में काम नहीं करते। महिलाओं का कहना कि वे पुलिस द्वारा की गई हिंसा के अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार की हिंसा का सामना करती हैं। इस संदर्भ में वैधानिक पक्ष समर्थन कार्य आवश्यक हैं जिससे कि यौनकर्म को अपराध न माने जाने की दिशा में प्रयास किये जा सकें।

विचार–विमर्श

क्या यौनकर्मियों का आंदोलन यौनकर्म को यौनिक अधिकार मानता है या फिर काम करने का अधिकार समझता है?यौनकर्मियों के आंदोलन पर चर्चा के दौरान इस विषय पर मुख्य रूप से चर्चा की गई।

शेशु ने स्पष्ट किया कि अलग–अलग परिस्थितियों में यौनकर्म की स्थिति अलग–अलग होती है। संग्राम संगठन के कार्यक्षेत्र, सांगली के ग्रामीण क्षेत्रों में वेश्यावृत्ति से जुड़ी 80 प्रतिशत महिलायें देवदासियाँ हैं। वे यौनकर्म को काम समझती हैं परन्तु इसे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाने वाला काम नहीं मानती या फिर इसे किसी दूसरे नियोक्ता के लिये किया जाने वाला कार्य नहीं समझती। उनके लिये काम एक ऐसी गतिविधि है जिसे करने के लिये आपको एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पड़ता है। उनके लिये वेश्यावृत्ति एक धंधा या व्यापार है जिस पर उनका नियंत्रण है और वे इसे काम से कुछ बेहतर समझती हैं। बहुत सी देवदासियाँ, जिनके पास अपनी निजी संपत्ति है वे स्वयं को काम करने वाला या मज़दूर नहीं समझती और न ही उनके लिये काम मालिक और नौकर जैसी परिभाषाओं में निर्धारित है। इस संदर्भ में उन परिस्थितियों में जहाँ यौनकर्मी स्वयं को मज़दूर नहीं समझते वहाँ यौनकर्म काम करने का अधिकार नहीं समझा जाता।

फिर भी महिलाओं ने मिलकर काम करने या एकत्रित होने में निहित शक्ति को पहचाना। यौनकर्मी ग्राहक ढूँढ़ने के लिये एक दूसरे से होड़ करते हैं फिर भी एक साथ मिलकर रहने से होने वाले लाभ को देखते हुये वे एक साथ हो जाते हैं। आज उनके समुदायों में रोग बहुत कम हैं और वे एच.आई.वी. जैसे रोगों से निपटने की बेहतर स्थिति में है। वे कुछ हद तक मिलजुल कर पुलिस हिंसा का सामना भी कर लेते हैं और यौनकर्मी के रूप में अपना काम जारी रखते हैं। संग्राम संगठन के एक भाग के रूप में ही विकसित हुये वेश्या अन्याय मुक्ति परिषद (वैम्प) ने स्वयं को एक स्वतंत्र संगठन के रूप में पंजीत करा लिया है। इसके लिये उसने अपने लाभ के लिये संगठन स्थापित करने के वैधानिक अधिकार का प्रयोग किया।

इस साझे प्रयास के अंतर्गत राज्य और इसके सभी निकायों को यह यौनकर्मी सबसे बड़ी दमनकारी शक्ति मानते हैं। उनकी इच्छा है कि कानून का यह शिकंजा उनके ऊपर से हटे और इसके लिये वे बलात्कार और यौन हिंसा जैसे अधिकारों के उल्लंघनों पर चर्चा के लिये कानूनी प्रक्रिया से जुड़ने के लिये भी तैयार है। यौनकर्मियों की अपनी वैधानिक कार्य योजनायें होती हैं। आरंभ में पकड़े जाने पर वे हवालात में रात बिताने और संभावित कमाई के 200 रुपये खोने की अपेक्षा 50 रुपये का मामूली सा जुर्माना देकर छूट जाते हैं। यह संगठन यौनकर्मियों को पकड़े जाने के समय पुलिस द्वारा उन्हें बाल पकड़ कर घसीटने जैसे अत्याचारों से मुक्ति के लिये प्रयास करता है। एक समय पर तो यह संगठन मिलकर दो या तीन यौनकर्मियों को पुलिस के पास भेज देते थे ताकि पुलिस द्वारा वेश्यावृत्ति निरोधक कानून के अंतर्गत यौनकर्मियों को पकड़े जाने का निर्धारित साप्ताहिक कोटा पूरा हो सके। अब इन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया है। एक सहभागी ने जानकारी दी कि किस तरह यौनकर्मियों के ये संगठन न्यायिक प्रक्रिया और इससे बाहर भी अपने अधिकारों के लिये प्रयास करते हैं।

यौनकर्मियों के सामूहिक प्रयासों जैसे अन्य सामूहिक प्रयासों के अंतर्गत शक्ति और सत्ता का निर्धारण किस तरह होता है। मैत्रेय का मानना था कि अध्यक्ष जैसे पद न देकर भी शक्ति का संतुलन बनाये रखा जा सकता है। संगठन को चलाने के लिये एक समन्वय समिति गठित की जा सकती है। शेशु का मानना था कि अनौपचारिक कोर समूह कभी–कभी भली प्रकार उत्तरदायित्व नहीं

निभाते। उन्हें लगता था कि साझा प्रयासों में हमेशा से ही सत्ता और शक्ति के केन्द्र विद्यमान होते हैं और इन्हें स्वीकार किया जाना चाहिये। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे मुख्य विषय क्या है, इस बात पर अधिकतम लोगों की राय ली जानी चाहिये। कोई भी साझा प्रयास आरंभ करते समय मुख्य संगठन को चाहिये कि वह अपने और इस प्रयास के बीच विद्यमान शक्ति संतुलनों की पहचान कर ले। वैम्प साझे प्रयास में सभी निर्णय साप्ताहिक बैठक के दौरान लिये जाते हैं। इस बैठक में सभी महिलायें भाग लेती हैं। एक सहभागी ने शेशु से प्रश्न किया कि ''क्या वेश्यावृत्ति से पुरुष की यौन आवश्यकताओं के विचार की पुष्टि नहीं हो जाती''?शेशु का मानना था कि वेश्यावृत्ति से पुरुषों के यौनिक आनन्द प्राप्त करने के विचार को वैधानिक दर्जा मिल जाता है; यौनकर्मी अपने ग्राहकों से इसी आनन्द को लेकर मोलभाव करते हैं। यौनकर्मी ऐसे यौन कर्मों के लिये अधिक भुगतान की अपेक्षा करते हैं जिसमें ग्राहक को अधिक आनन्द मिलता हो। शेशु ने उस थके हुये व्यक्ति का उदाहरण दिया जो स्वयं को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिये यौनकर्मी के पास आता है।

इन दोनों प्रस्तुतकर्ताओं ने भारत में यौनकर्मियों के आंदोलन में निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं की पहचान की जो इस आंदोलन में मील के पत्थर सिद्ध हुये:

- 1980 के दशक के मध्य में एच.आई.वी./एड्स के रोग का प्रसार
- 1998 में कोलकाता में आयोजित यौनकर्मियों का प्रथम मेला
- 1998 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा यौनकर्म को स्वीकार किया जाना
- 2002 में यौनकर्मियों के राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना हई जो एक ही विचार का पालन करने की अपेक्षा अपने सदस्य संगठनों को अत्यधिक स्वायत्तता प्रदान करता है।

महिला आंदोलन ने 1998 में आयोजित पहले यौनकर्मी मेले का विरोध किया था। कुछ संगठनों ने तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मेले पर रोक लगाने की प्रार्थना भी की थी। इसके फलस्वरूप यह मुद्दा दोनों समूहों के बीच विवाद का विषय बन गया और इस

सारी प्रक्रिया में वास्तविक उद्देश्य कहीं पीछे रह गये। अभी हाल ही में महिला संगठनों ने राज्य द्वारा यौनकर्मियों के अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में सशर्त समर्थन देना स्वीकार किया है। परन्तु अभी भी महिला संगठनों द्वारा यौनकर्म को काम के रूप में मान्यता दिये जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। एक सहभागी ने जानना चाहा कि हमारे आदर्श समाज में कैसी स्थिति होगी?क्या अच्छा वेतन पाने वाले यौनकर्मी तथा घरेलू नौकर?या ना घरेलू नौकर और यौनकर्मी?

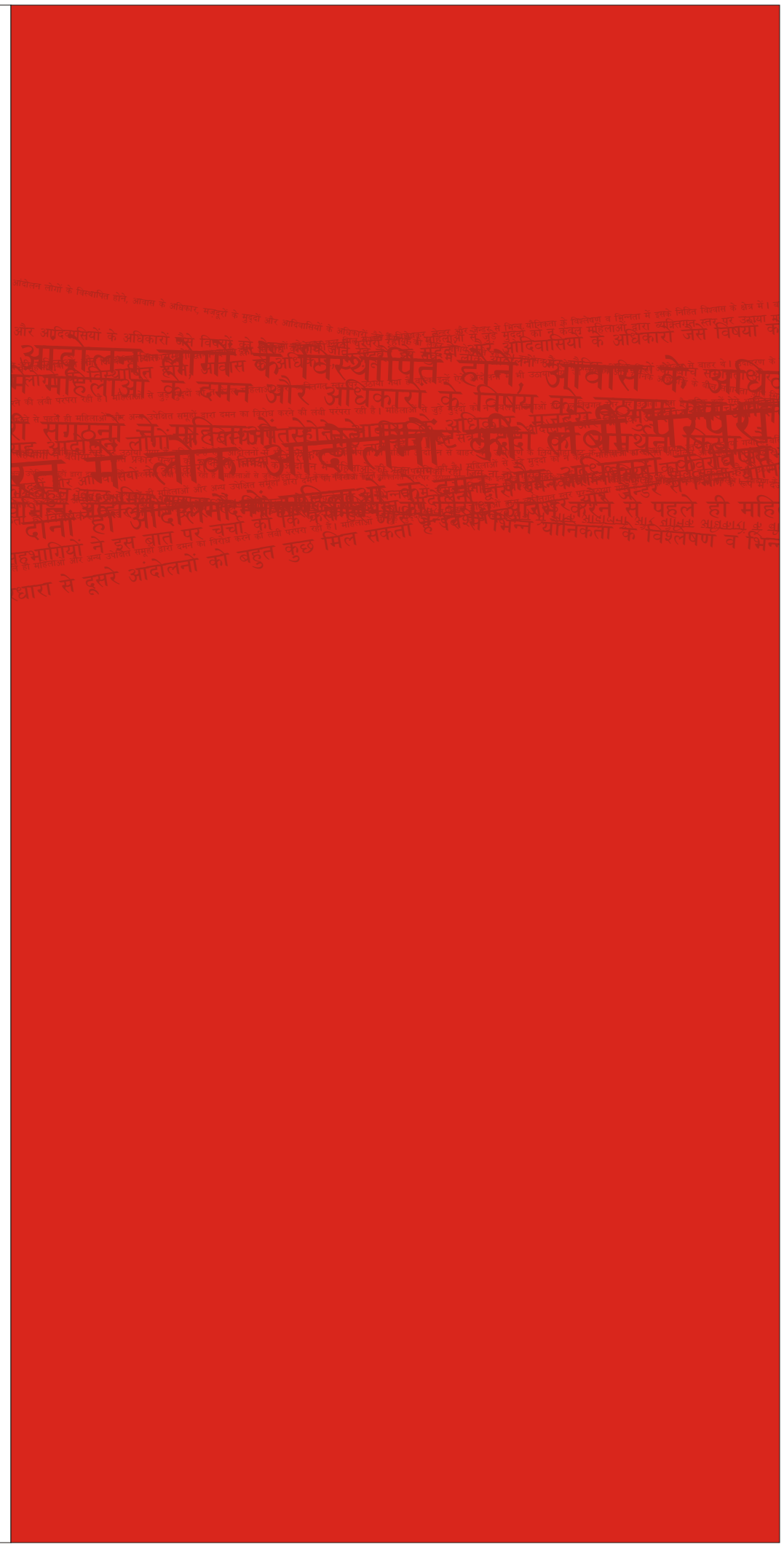

लोक आंदोलन एवं यौनिक अधिकार

भारत में लोक आंदोलनों की लंबी परंपरा रही है। यह आंदोलन लोगों के विस्थापित होने, आवास के अधिकार, मज़दूरों के मुद्दों और आदिवासियों के अधिकारों जैसे विषयों को लेकर चलाये जाते रहे हैं। इस सत्र में लोक आदोलनों और यौनिक अधिकारों के बीच समानता और भिन्नतायें जानने का प्रयास किया गया। कार्यकर्ताओं के संगठनों व बहुत से लोक आंदोलनों की सदस्या रंजना पाधी तथा बैंगलौर के पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (पीयूसीएल) के रामदास राव ने इस सत्र में आरंभिक प्रस्तुतीकरण दिये।

आरंभिक प्रस्तुतीकरण

रामदास राव, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, बैंगलौर

रामदास राव ने बताया कि उनका संगठन पीयूसीएल भारत में मुख्य मानवाधिकार आन्दोलन का ही एक भाग है और यौनिक अधिकारों के विषय पर इसने बहुत संक्षिप्त कार्य किया है। उनके प्रस्तुतीकरण में पीयूसीएल की बैंगलौर ईकाई का ही ब्यौरा था जिसके वे सदस्य हैं।

पीयूसीएल ने वर्ष 2000 से आवश्यकता के आधार पर यौनिक अधिकार के मुद्दों को उठाया है। इसका श्रेय नगर में यौनिक अल्पसंख्यकों के समूहों के प्रयासों को जाता है। उसी समय से पीयूसीएल बैंगलौर ने इस विषय पर दो रिपोर्ट प्रकाशित की हैं जिनमें 2001 में प्रकाशित यौनिक अल्पसंख्यकों पर रिपोर्ट और 2003 में ट्रॉंसजेन्डर व्यक्तियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का ब्यौरा दिया गया है। पीयूसीएल बैंगलौर यौनकर्मियों के नगर स्तरीय फोरम का भी सदस्य है जो प्रत्येक सप्ताह बैठक करता है। यद्यपि यह संगठन ऐसे विषयों को उठाने के लिये आवश्यक सेवायें

प्रदान करता है फिर भी यह स्वयं से इन विषयों को नहीं उठाता जब तक कि इसे इन विषयों को उठाने के लिये कहा न जाये।

हालांकि पीयूसीएल की दो रिपोर्टों को व्यापक रूप से पढ़ा गया परन्तु फिर भी पीयूसीएल के राष्ट्रीय बुलेटिन में इनका बहुत कम उल्लेख हुआ है। इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मुद्दों को क्या महत्व दिया जाता है। इन सब के पश्चात भी पीयूसीएल के इन मुद्दों से जुड़ने के कारण इन्हें भारत में मानवाधिकार आंदोलन की मुख्यधारा में शामिल किया जा सका है।

ये दोनों रिपोर्टें पीयूसीएल के दृष्टिकोण में परिवर्तन और यौनिकता संबंधी विषयों पर इसकी समझ की सूचक हैं। 2001 की रिपोर्ट में सभी यौनिक अल्पसंख्यकों को एक ही समूह के रूप में दर्शाया गया था; 2003 की रिपोर्ट में कोथी को एक विशिष्ट आर्थिक–सांस्तिक पहचान के रूप में वर्णित किया गया। यद्यपि दोनों ही रिपोर्टों में व्याख्या करते समय इन्हें पीड़ितों की तरह देखा गया है फिर भी इन रिपोर्टों के प्राक्कथन5 से यह स्पष्ट हो जाता है कि यौनिकता के बारे में विचारधारा में परिवर्तन हुआ है और इसे अब यौनिक व्यवहार के स्थान पर जेन्डर की पहचान के रूप में देखा जाने लगा है। यह समर्थन देने की राजनीति से हटकर सभी स्थायी यौनिक और जेन्डर की पहचान के विनिर्माण की दिशा में उठाया गया कदम है।

आरंभिक प्रस्तुतीकरण

रंजना पाधी, सहेली

लोक आंदोलन की परिभाषा का खण्डन करते हुये पाधी ने इसे महिलाओं, आदिवासियों और दलितों के संघर्ष की भूमिका दी। ये सभी संघर्ष, अनुभव को अपनी राजनीति के केन्द्र में रखकर परंपरागत वामपंथी विचारधारा को चुनौती देते हैं।

श्रमिक मुक्ति दल और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जैसे बड़े संगठनों में कुछ हद तक यौनिकता के मुद्दों को उठा पाना संभव हो सकता है। इन दोनो संगठनों ने महिला आंदोलन से भी बहुत पहले पत्नी को पीटने और शराब पीने जैसे मामलों को उठाया था। भूख,

विस्थापना और आश्रय के विषयों पर कार्यरत नर्मदा बचाव आंदोलन और लोक आदोलनों के राष्ट्रीय गठबंधन अभी भी यौनिकता से जुड़े विषयों को जीवन व मृत्यु का मामला नहीं मानते। ऐसी परिस्थितियों में किसी कार्यकर्ता के लिये इन संगठनों में यौनिकता के मुद्दों को उठा पाना बहुत जटिल हो जाता है।

फिर भी, कुछ मुख्य संगठन अब यौनिक अधिकारों से जुड़े विषयों को उठाने लगे हैं। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइटस (पीयूडीआर) संगठन ने 1986 में''इनसाइड दी फैमिली'' नामक अपनी पुरानी रिपोर्ट में पितृसत्ता और विवाह की संस्था को चुनौती दी थी। पीयूडीआर ने वर्ष 2004 में एक विक्रेता की जाँच कार्य में भी भाग लिया जिसके साथ चार घंटो तक जबरन यौन शोषण किया गया था।

पाधी ने बताया कि किस तरह समलैंगिक स्त्रियों ने 1999 की अंतराष्ट्रीय महिला दिवस की रैली में पर्चे बाँटे थे और 2000 की रैली में समलैंगिक महिलाओं के मुद्दों को शामिल किये जाने के लिये संघर्ष किया था। उस समय इन मुद्दों को केवल उच्च वर्ग की धनाड्य महिलाओं का मामला ही माना जाता था। इसलिये महिलाओं के बहुत से मुख्य समूहों ने इस चर्चा में भाग नहीं लिया था।

पाधी का मानना था कि यौनिक अधिकारों का यह संघर्ष अभी भी अपने शैशवकाल में है। इसे जाति, वर्ग और सांप्रदायिकता जैसे बड़े मुद्दों को उठाने के लिये अन्य आंदोलनों के साथ गठजोड़ करना चाहिये। यौनिक स्वतंत्रता और स्वयं निर्णय करने की स्वायत्तता ऐसे समय नहीं प्राप्त की जा सकती जबकि अन्य सभी प्रकार की स्वतंत्रतायें हमसे छीनी जा रही हो। इसके ठीक विपरीत यौनिक अधिकारों के संघर्ष को तो पहले से चले रहे आंदोलनों के साथ एकीकरण करना चाहिये और इन आंदोलनों का अविभाज्य भाग बनना चाहिये।

विचार–विमर्श

सहभागियों ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे विभिन्न आंदोलनों द्वारा दमनकारी नीतियों का विरोध आरंभ करने से पहले ही महिलाओं और अन्य उपेक्षित समूहों द्वारा दमन का विरोध करने की

लंबी परंपरा रही है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों को न केवल महिलाओं द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर उठाया गया है बल्कि इन्हें ऐसे आंदोलनों में भी उठाया गया जो वामपंथी या महिला आंदोलन से बाहर थे। उदाहरण के लिये महाराष्ट्र के किसानों का दलित आंदोलन और केरल का पेरियार आंदोलन। इन दोनों ही आंदोलनों में महिलाओं के दमन और अधिकारों के विषय को उठाया गया। नर्सों के संगठनों और कर्मचारी संगठनों ने महिलाओं से जुड़े विशिष्ट मुद्दों का समर्थन किया है। एक सहभागी ने बताया कि किस प्रकार पत्थर की खदान के कर्मियों के आंदोलन में महिलाओं की प्रबल भूमिका रही जिसे ना तो नारीवादी कार्य और न ही महिला आंदोलन के भाग के रूप में दर्ज किया गया।

समय के इस मोड़ पर यौन संबंधों के लिये किये जा रहे संघर्ष को अन्य सभी आदोलनों की सहायता मिलनी चाहिये, परन्तु यौनिक अधिकारों से जुड़े समूह महिलाओं के संघर्ष या सामाजिक वर्ग आधारित मामलों पर बहुत कम ही बात करते हैं। यह एक असमंजस की स्थिति है। वाम दलों का ढाँचा इतना कठोर है कि उसमें यौनिकता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिये कोई स्थान नहीं है। इन मुद्दों को केवल गैर–सरकारी संगठनों द्वारा ही उठाया जाता है। पाधी ने बताया कि वाम दलों का मानना है कि प्रेम, सैक्स और रोमांस कामकाजी वर्ग से जुड़े मुद्दे नहीं हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यौनिक अधिकारों के हनन, आक्रमणों, आत्महत्याओं के मामलों पर ध्यान देना किस प्रकार आवश्यक है ताकि वाम दल यह समझ सकें कि ये सभी मामले कामकाजी वर्ग के लिये भी जीवन और मृत्यु की तरह ही महत्वपूर्ण हैं।

इस सदर्भ में सहभागियों को लगा कि यौनिक अधिकारों की विचारधारा से दूसरे आंदोलनों को बहुत कुछ मिल सकता है विशेषकर, जेन्डर और जेन्डर से भिन्न यौनिकता के विश्लेषण व भिन्नता में इसके निहित विश्वास के क्षेत्र में। बहुत कुछ मिल सकता है।

5 इस प्राक्कथन को जाने माने संविधान विशेषज्ञ उपेन्द्र बक्शी ने लिखा है।

पीएलएचए नेटवर्क तथा यौनिक अधिकार

वर्ष 2000 के आरंभ से ही एच.आई.वी./एड्स पीड़ित लोगों के समूह संगठनकारी कार्य करते रहे हैं। भारत में अनेक पीएलएचए समूहों द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यौनिक अधिकारों के मुद्दे उठाये जाते रहे हैं। इस संदर्भ में दक्षिण भारत के चैन्नई स्थित पॉजिटिव विमैन्स नेटवर्क की शान्ति कनियप्पन ने पीएलएचए समूहों के दृष्टिकोण से यौनिक अधिकारों की विवेचना की।

आरंभिक प्रस्तुतीकरण

शान्ति कनियप्पन पॉजिटिव विमैन्स नेटवर्क चैन्नई

अपने प्रस्तुतीकरण के आरंभ में शान्ति कनियप्पन ने उन सभी समस्याओं को उठाया जिनका सामना भारतीय सदर्भ में एच.आई.वी. संक्रमित लोगों को करना पड़ता है जैसे कि सामाजिक कलंक, भेदभाव, हिंसा, आर्थिक असुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, जानकारी और समर्थन का अभाव तथा स्वतंत्रता या आश्रित होने से संबंधित मुद्दों पर बातचीत आदि।

इस वृहत परिप्रेक्ष्य में एच.आई.वी. संक्रमित महिलाओं के अधिकारों का बहुत अधिक हनन होता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- एच.आई.वी. के प्रसार, उपचार की नीतियों, प्रजनन अधिकारों, देखभाल एवं ईलाज, माँ से शिशु को होने वाले संक्रमण, रोकथाम संबंधी जानकारी का अभाव।
- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माता–पिता या ससुराल वालों, भाई–बहनों और साथियों द्वारा कलंकित किया जाना। इस कारण अनेक महिलायें निराश्रित हो गई हैं।
- अपने माता–पिता तथा ससुराल में सम्पत्ति के अधिकार से

वंचित रखना। इसका एक मुख्य कारण यह मान्यता भी है कि एच.आई.वी. संक्रमित स्त्री का जल्दी ही मरना निश्चित है।

- विवाहित साथी के मरने पर भी बीमा आदि की राशि का भुगतान ना किया जाना।
- समुदाय द्वारा कलंकित कर भेदभाव किया जाना। इसमें किराये पर घर देने, सामुदायिक पानी के स्रोत प्रयोग करने, कूड़ा फेंकने या अन्य संसाधनों के प्रयोग की मनाही सम्मिलित है।
- सभी स्तरों पर उपचार और स्वास्थ्य रक्षा न मिल पाना। इनमें एच.आई.वी. जाँच से पहले और बाद का परामर्श, लोगों का निर्णयकारी दृष्टिकोण, गाली–गलौज का प्रयोग, संक्रमण का इलाज करने से इंकार और जबरन गर्भपात भी शामिल हैं।
- एच.आई.वी. संक्रमित पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के उपचार के स्तर में कमी।
- कार्यालयों, यहाँ तक कि गैर–सरकारी संगठनों में भी कलंकित किया जाना और गोपनीयता का हनन।

एच.आई.वी. संक्रमित महिलाओं के जिन अधिकारों का हनन होता है उनमें यौन अधिकार सबसे प्रमुख हैं। एच.आई.वी. संक्रमित महिलाओं को जबरन सैक्स, विवाह में बलात्कार और ऐसे यौन साथियों के साथ भी जबरन सैक्स करना पड़ता है जो कॉनड्म का प्रयोग नहीं करना चाहते। महिलाओं को अपनी शारीरिक स्थिति और यौनिकता के बारे में जानकारी व सूचना का अभाव होता है। शक्तिविहीनता की इस स्थिति में वे यौन संबंधों में अपने विचार प्रकट नहीं कर पाती।

एच.आई.वी. संक्रमित होने पर वे प्रजनन अधिकारों का प्रयोग भी नहीं कर पाती। वे यह निर्णय लेने में असमक्षम होती है कि संतानोत्पत्ति की जाये अथवा नहीं। कुछ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एच. आई.वी. से संक्रमित गर्भवती महिला को जबरन गर्भपात कराने के लिये बाध्य करते हैं और उनकी इच्छा भी जानने का प्रयास नहीं करते।

विचार–विमर्श

एक जीवन्त विचार–विमर्श में सहभागियों ने इस बात पर बल दिया कि एच.आई.वी./एड्स की नीतियाँ तैयार करते समय महिलाओं को मात्र साधन समझा जाता है और मातृ स्वास्थ्य की अपेक्षा शिशु स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रसवपूर्व जाँच के समय उन्हें बिना बताये ही उनकी एच.आई.वी. जाँच की जाती है और उनके शिशु के जीवन को बचाने के लिये उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे एन्टी रेट्रो वायरल दवाओं का सेवन करें। विशेषकर, तब जबकि उन्हें स्वयं एन्टी रेट्रो वायरल दवायें खाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक सहभागी ने कहा कि एन्टी रेट्रो वायरल दवायें कितनी विषैली होती हैं, ना जाने इस बीमारी की बजाय विषैली दवाओं से कितनी महिलायें मर जाती होंगी।

एच.आई.वी. की बात करें तो सभी महिलाओं में नियंत्रण का अभाव और अपने विचार न रख पाने की समस्या एक समान देखी जाती है। एक सहभागी ने तो बीसवीं सदी में एड्स के रोग की तुलना उन्नीसवीं सदी की सती प्रथा से की जिसका प्रयोग महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखने के लिये किया जाता था।

एच.आई.वी. के संदर्भ में प्रायः सभी अधिकार परस्पर विरोधी होते हैं। उदाहरण के लिये एच.आई.वी. से ग्रसित लोगों के अधिकारों को महिलाओं के अधिकारों के विपरीत रखकर देखा जाता है। विवाह करने और जानकारी रखने के अधिकारों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया जाता है। इसी तरह गोपनीयता के अधिकार और जानकारी प्राप्त करने के अधिकार को भी प्रयोग किया जाता है।

18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों द्वारा ऐच्छिक रूप से एच.आई.वी. जाँच की नीति से उन लोगों के अधिकारों का हनन होता है जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं। संभव है कि 18 वर्ष से कम आयु की कोई युवती अपनी एच.आई.वी. जाँच कराना चाहे परन्तु इस नीति के अंतर्गत उसे अपने यौन व्यवहार के नतीजों का सामना करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। उसे इसके लिये माता–पिता के निर्देशों की आवश्यकता होती है और इससे उसके गोपनीयता के अधिकार का हनन होता है।

राष्ट्रीय स्तर पर एड्स रोकथाम की नीतियों में ''वफादारी'' को केन्द्र में रखा जाता है और इसके लिये कॉनड्म के प्रयोग को विकल्प की तरह सुझाया जाता है। इस तरह की परिस्थिति से नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और कॉनड्म के प्रयोग के लिये कहे जाने को अविश्वास की तरह देखा जाता है।

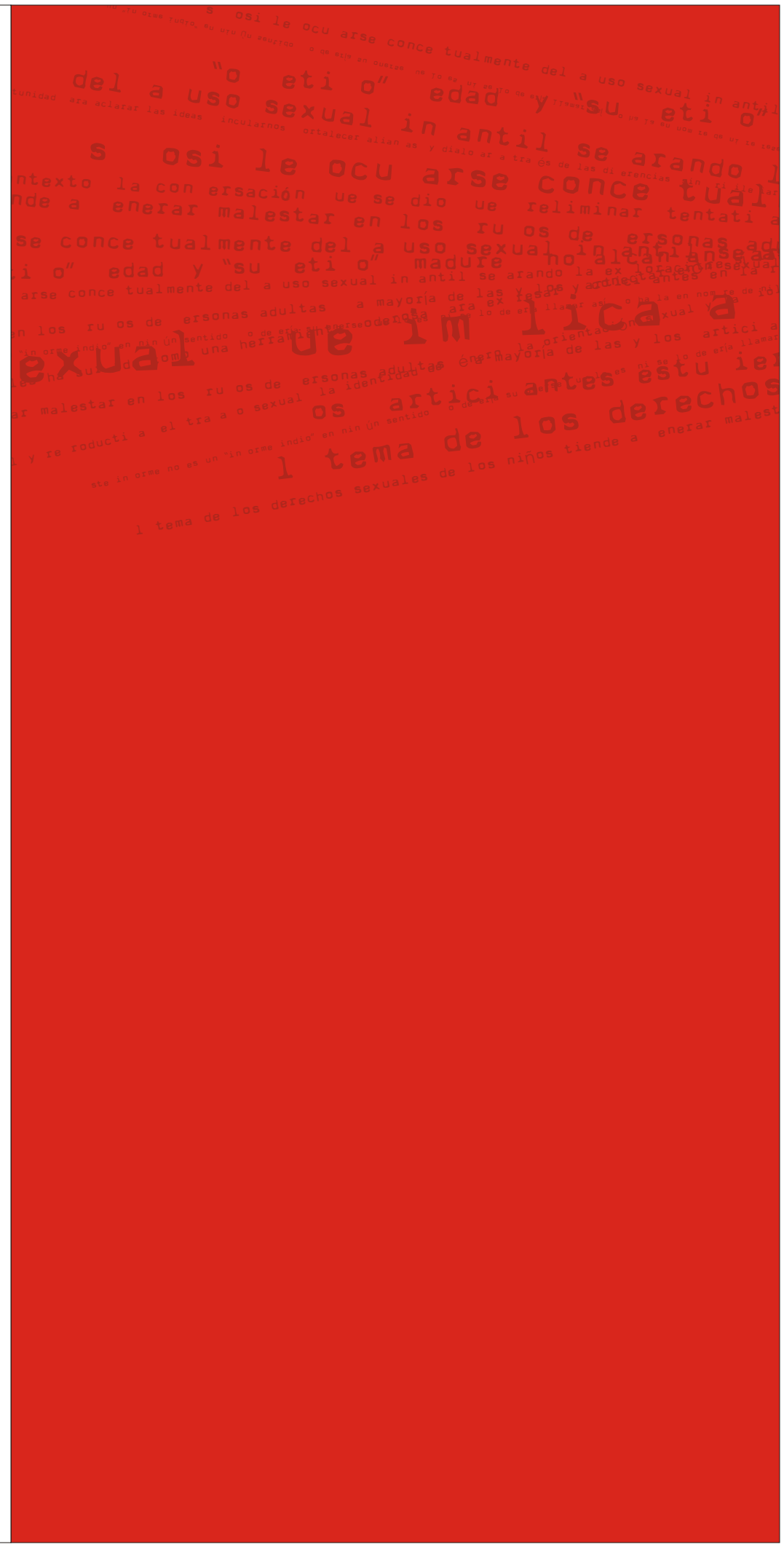

बच्चों के यौनिक अधिकार

बच्चों के यौनिक अधिकार एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात करते समय भारत में वयस्क असहजता अनुभव करते हैं। मानेसर की बैठक में अधिकांश सहभागियों ने कहा कि उन्होंने अभी इस विषय पर गहराई से विचार नहीं किया है। इस संदर्भ में सहभागियों ने विषय के बारे में आरंभिक बातचीत की।

एक सहभागी का विचार था कि बच्चों में यौनिकता को यौन उत्पीड़न से जोड़कर देखा जाता है। उनका मानना था कि आयु की किसी भी सीमा के बिना ही बच्चों को सैक्स का अधिकार दिया जाना चाहिये। परन्तु वयस्कों को बच्चों के सैक्स में अत्यधिक लिप्त हो जाने का भय सताता है।

अन्य सहभागियों ने माना कि बच्चे अपने समकक्ष समूह में सैक्स के साथ प्रयोग करते हैं परन्तु साथ ही साथ बच्चों में यौन उत्पीड़न का अनुभव भी एक यथार्थ है। क्या बच्चों में यौन उत्पीड़न के विचार को किसी वयस्क द्वारा बच्चे के उत्पीड़न तथा बच्चे द्वारा बच्चे के उत्पीड़न को परस्पर अलग करके देखा जा सकता है। यह आवश्यक नहीं क्योंकि उत्पीड़न एक ही आयु के बच्चों में पाया भी जाता है। अपनी जेन्डर की पहचान को अलग रूप से प्रकट करने वाले बच्चे विशेष रूप से समकक्ष मित्रों के उत्पीड़न का शिकार बनते हैं। सड़क पर रहने वाले बच्चे और संवेदनशील बच्चे भी उत्पीड़न का शिकार बनते हैं।

बहुत से समुदायों में केवल आयु के आधार पर किसी को बच्चा या वयस्क नहीं कहते बल्कि आयु के अंतर और परिपक्वता को भी देखा जाता है। इस संदर्भ में एक सहभागी ने बताया कि अपनी किशोरावस्था में कैसे उसे बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ यौन अनुभव हुआ था। एक सामहिक प्रक्रिया में इस विषय पर बातचीत कर लेने के बाद भी उसे यह निश्चित नहीं था कि उसका वह अनुभव उत्पीड़न माना जाये या नहीं।, सहभागी इस बात से सहमत थे कि

वास्तविक (आयु) और सापेक्ष (परिपक्वता) जैसे मानक बच्चों की क्षमताओं के निर्धारण के लिये अपर्याप्त हैं।

सहभागी इस बात पर सहमत थे कि यौनिकता के संदर्भ में बच्चों को निम्नलिखित अधिकार होने चाहिये :

- सूचना का अधिकार
- सैक्स शिक्षा का अधिकार
- गर्भनिरोध और गर्भपात का अधिकार

बच्चों को 'अच्छे स्पर्श' और 'बुरे स्पर्श' को जानने का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिये। विशेषकर उन परिस्थितियों में जहाँ बच्चों में यौन उत्पीड़न आमतौर पर उन्हें भलीभाँति जानने वाले व्यक्तियों, मित्रों या रिश्तेदारों द्वारा होता हो।

निष्कर्ष

मानेसर में आयोजित तीन दिवसीय बैठक के अंत में इस विषय पर आम सहमति बनी कि यौन अधिकारों के विषय पर गुणकारी बातचीत से यौनिक अधिकारों के निर्धारित मानकों को चुनौती दी गई है और इससे अनेक विषयों पर एक नई सोच आरम्भ हुई है। सहभागियों ने कहा कि इस बैठक में उन्हें इस विषय पर नवीन जानकारी मिली कि किस तरह विभिन्न प्रगतिवादी आंदोलन यौनिक अधिकारों को समझते एवं प्रस्तुत करते हैं। इस बैठक में संकल्पना के स्तर पर यौनिक अधिकारों की उपयोगिता और इनकी सीमा को जानने का अवसर भी मिला।

कुल मिलाकर इस बैठक को विभिन्न आंदोलन के बीच बातचीत आरंभ करने की दिशा में सहायक माना गया जोकि बढ़ते हुये कट्टरवाद, उपभोक्तावाद और भूमंडलीयकरण के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है। भारत में यौनिक अधिकारों का हनन लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का एक भाग है। इस संदर्भ में वर्ग, जाति, धर्म, और यौनिकता के क्षेत्र में काम कर रहे प्रगतिवादी आंदोलनों के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वे सब मिलकर इन सभी मुद्दों को अपनी राजनीतिक कार्यसूची में सम्मिलित करें।

सहभागी

अनिन्द्या हाज़रा
प्रत्यय जेन्डर ट्रस्ट
द्वारा पी 251बी, पूरणदास रोड, फर्स्ट फ्लोर, कोलकाता 700029
फोनः 033-24641893, ई–मेलः anindyahajra@hotmail.com

अरविन्द नारायण
आल्टरनेटिव लॉ फोरम
122/4, इनफैंट्री रोड, बैंगलौर 560001
फोन 080–2865757, ई–मेलः
ंतअपदकदंततंपद/ीवजउंपसण्बवउ

बिशाखा दत्ता
पॉइन्ट ऑफ व्यू
2 न्यू पुष्पा मिलन, वर्ली हिल्स, मुम्बइ 400018
फोनः 022-24934478 ई–मेलः pointofview@vsnl.com

चतुरा
ओलावा
ई–मेलः olava_2000@yahoo.com, besharmee@yahoo.com

एलावर्थी मनोहर
संगमा
फ्लैट 13, थर्ड फ्लोर, रॉयल पार्क अपार्टमैन्ट, 34 पार्क रोड,
टसकर टाउन, बैंगलौर 560051
फोन 080-2868680/2868121 ई–मेलः manohar@sangamaonline.org

गीताजंलि मिश्रा
क्रिया, 2/14, शान्ति निकेतन, दूसरी मंजिल, नई दिल्ली 110021
फोन 011-24117983/24114733 फैक्स 011-24113209
ई–मेलः crea@vsnl.net

मैत्रेय
फर्म,
14/1514, थाईकार्ड, तिरूवनन्थापुरम, केरल, भारत 695014
फोन 0471–2368142/2369498
ई–मेलः उंपजतमलं/ंपंदमजपदकपंण्बवउ

मनीषा गुप्ते
मासूम
11, अर्चना, कंचनजंगा आर्केड, 163, शोलापुर रोड
हडपसार पूणे 411028
फोन 020-26875058, 26875871 ई–मेलः masum@vsnl.com

मीना शेशु
संग्राम
बी 11, अक्षय अपार्टमैन्ट, चिन्तामणि नगर, सांगली, महाराष्ट्र
फोन 0233-2311644 ई–मेलः meenaseshu@yahoo.com, vamp@vsnl.com

प्रभा नागराज
तारशी
11, मथुरा रोड, पहली मंजिल, जंगपुरा बी, नई दिल्ली 110014
फोन 011-24379070/24379071 ई–मेलः tarshi@vsnl.com

प्रमदा मेनन
क्रिया, 2/14, शान्ति निकेतन, दूसरी मंजिल, नई दिल्ली 110021
फोन 011-24117983/24114733 फैक्स 011-24113209
ई–मेलः crea@vsnl.net

राधिका चन्दिरमानी
तारशी
11, मथुरा रोड, पहली मंजिल, जंगपुरा बी, नई दिल्ली 110014
फोन 011-24379070/24379071 ई–मेलः tarshi@vsnl.com

रामदास राव
सचिव, पीयूसीएल कर्नाटक
233] 6–मेन, चौथा ब्लॉक, जयनगर, बैंगलौर 560056
फोन 080-6639414;घरद्ध ई–मेलः ramdas_Rao@hotmail.com

रंजना पाधी
ई–मेलः ranjanapadhi@yahoo.co.uk, ranjanapadhi@hotmail.com

शालिनी
लाबिया
पोस्ट बॉक्स 16613, मॉटुंगा, मुम्बई 400019
ई–मेलः streesangam@rediffmail.com

शान्ति कनियप्पन
पॉजीटिव वूमैन नेटवर्क ऑफ साउथ इंडिया
23, वृन्दावन स्ट्रीट, वैस्ट माम्बलम, चैन्नई 600033
फोन 044-23711176 ई–मेलः poswonet@hotmail.com

स्नेहा
विविधा
ई–मेलः vividhabangalore@hotmail.com

वैकटेश बी. टी
संगमा
फ्लैट 13, थर्ड फ्लोर, रॉयल पार्क अपार्टमैन्ट, 34 पार्क रोड,
टसकर टाउन, बैंगलौर 560051
फोन 080-2868680/2868121
ई–मेलः sangama@sangama.org, sangama@vsnl.net

आयोजनकर्ता

क्रिया, क्रियेटिंग रिर्सोसेज फॉर एम्पावरमैन्ट इन एक्शन भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थान है जो किसी भी आर्थिक लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करता। क्रिया का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना है ताकि वे महिलाओं में नेतृत्व गुणों का विकास और यौनिकता, यौन एवं प्रजनन अधिकारों व हिंसा जैसे विषयों पर ध्यान देते हुये अपने मानवाधिकारों की माँग कर, इन्हें प्राप्त कर सकें।

क्रिया,
2/14, शान्ति निकेतन, दूसरी मंजिल, नई दिल्ली 110021
फोनः 011-24117983/24114733
फैक्सः 011-24113209
ई–मेलः crea@vsnl.net
वेब–साइटः http://www.creaworld.org

संगमा, यौनिक अल्पसंख्यकों (समलैंगिक स्त्रियाँ, द्विलिंगी, कोथी, डबलडैकर, समलैंगिक पुरुष, हिजड़े, विपरीत लिंग के कपड़े पहनने वाले, ट्रांस जेन्डर तथा अन्य) के मानवाधिकारों की रक्षा करता है जिन्हें अपने यौन व्यवहारों तथा/या यौनिक पहचान के कारण समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। संगमा यौनकर्मियों तथा एच.आई.वी./एड्स से बाधित लोगों के मानवाधिकारों का भी सक्रिय रूप से समर्थन करता है।

संगमा
फ्लैट नं0 13, थर्ड फ्लोर, रॉयल पार्क अपार्टमैन्ट, 34 पार्क रोड, टसकर टाउन, बैंगलौर 560051
फोनः 080-2868680/2868121
ई–मेलः sangama@sangma.org, sangama@vsnl.net
वेब–साइटः http://www.sangama.org

तारशी, टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव एण्ड सैक्सुअॅल हैल्थ इश्यूज् का मानना है कि सभी व्यक्तियों को यौनिक रूप से स्वस्थ रहने और अपनी यौनिकता का आनन्द उठाने का पूरा अधिकार है। यह संस्था भी लाभ के लिये कार्य नहीं करती। तारशी लोगों में यौनिक और प्रजनन विकल्पों की पहचान को बढ़ाने के लिये एक टेलीफोन हैल्पलाइन सेवा तथा एक संसाधन केन्द्र चलाती है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम और लोक शिक्षण सामग्री भी वितरित करती है।

तारशी
11, मथुरा रोड, पहली मंजिल, जंगपुरा बी, नई दिल्ली 110014
फोनः 011-24379070/24379071
ई–मेलः tarshi@vsnl.net
वेब–साइटः http://www.tarshi.org